[2023] 4 एस. सी. आर 986

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका

वी.

भारत लिमिटेड का पर्यटन वित्त निगम।

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 172)

15 मार्च, 2023

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और

जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016-ss. 1 (3) , 7 , 8 , 9 , 13 ,

14 , 15 , 29 , 30 , 31 , 32 ए, 53,61,238-दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016-नियम 6 -

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 138 , 139 , 141 , 142 , 147

–

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 190 , 200 , 256 , 257 , 305 , 482 – एक मांग-सह-कानूनी नोटिस यू/एस। 138 एन. आई. अधिनियम की धारा प्रत्यर्थी की ओर से कंपनी को अभियुक्त के रूप में बुलाकर जारी की गई थी।

नहीं। 1 और इसमें अपीलार्थी के रूप में अभियुक्त सं। 2 कॉर्पोरेट ऋण के माध्यम से अग्रिम ऋण का निपटान करने के लिए-राशि का भुगतान नहीं किया गया था-आपराधिक

शिकायत दर्ज की गई थी यू / s.190 Cr.P.C. r/w। एसएस। 138 , 141 और एन. आई. अधिनियम की धारा 142-एक कंपनी ने खुद को 'परिचालन लेनदार' के रूप में पेश करते हुए यू/एस. आवेदन दायर किया। 9 2016 का कोड आर/डब्ल्यू। आर. 6 अभियुक्त कंपनी के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के अनुरोध के साथ आई. बी. नियम, 2016 निगमित देनदार के रूप में-दिवाला आवेदन स्वीकार किया गया था -

अपीलार्थी द्वारा शिकायत मामले के निर्वहन के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था-आपराधिक संशोधन भी खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः संजय किशन कौल के अनुसार जे. (अपने और अभय एस. ओका, जे. के लिए) : एस का एक नंगे पठन। 14 आई. बी. सी. की धारा यह स्पष्ट करेगी कि जिन कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाना है, उनकी प्रकृति में आपराधिक कार्यवाहियां शामिल नहीं हैं, जो यू/एस की कार्यवाहियों की प्रकृति है। 138 एन. आई. अधिनियम-यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया चाहे यू/एस हो। 31 या एसएस। 38 41 तक जो ऋण को समाप्त कर सकता है, वास्तव में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने पर लागू होगा। - न्यायालय इस याचिका को

स्वीकार नहीं कर सकता है कि यदि कंपनी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो प्रबंध निदेशक के रूप में अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है-जे. बी. पारदीवाला, जे.

(एकरूपता): जहाँ कार्यवाही यू/एस। 138 एन. आई. अधिनियम का था

मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के साथ शुरुआत हो चुकी है और विचाराधीनता के दौरान, कंपनी भंग हो जाती है,

गोयनका वी. पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड।

हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक अपने दंडात्मक दायित्व से बच नहीं सकते हैं। 138 एन. आई. अधिनियम के विघटन का हवाला देते हुए-जो भंग किया जाता है, वह केवल कंपनी है, न कि अभियुक्त का व्यक्तिगत दंडात्मक दायित्व।

यू/एस को कवर किया गया। 141 एन. आई. अधिनियम-समाधान योजना यू/एस के पारित होने के बाद। 31 न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा और एस के प्रावधानों के आलोक में आई. बी. सी. 32 आई. बी. सी. का ए, आपराधिक कार्यवाही यू/एस। 138 एन. आई. अधिनियम की धारा केवल निगमित देनदार के संबंध में समाप्त हो जाएगी यदि इसे एक नए प्रबंधन द्वारा लिया जाता है - s.138 हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों के संबंध में कार्यवाही जो एस के लिए दो प्रावधानों द्वारा उत्तरदायी/कवर हैं। 32 ए (1) के अनुसार जारी रहेगा।

कानून के साथ।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पर संजय किशन कौल, जे। (अपने और अभय के लिए)

एस. ओकेए, जे.) पकड़नाः 1. आई. बी. सी. की धारा 14 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कार्यवाही की प्रकृति जो होनी चाहिए

स्थगन में रखी गई आपराधिक कार्यवाही शामिल नहीं है, जो एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही की प्रकृति है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया, चाहे वह धारा 31 के तहत हो या धारा 38 से 41 के तहत, जो ऋण को समाप्त कर सकती है, वास्तव में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने पर लागू होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. बी. सी. के तहत योजना के संदर्भ में ऋणों का निपटान करने के लिए पक्षों को त्याग करना पड़ता है, कंपनी का परिसमापन या पुनरोद्धार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने कहा है

चेक के हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ प्रवर्तक और अभियुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक, जिन्होंने ऋण का लाभ उठाया। कंपनी की ओर से उन्होंने ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अपीलार्थी जो चाहता है वह अपराधी से बचना है।

ऋण के बहुत शुरुआती चरण में राशि के भुगतान में चूक करने का दायित्व। वास्तव में, ऋण खाता ही बंद हो गया था। अपीलार्थी की ईमानदारी के लिए इतना। [पारस 16 और 17] [997 डी-ई, जी-एच; 998-ए-बी]

जे. बी. पारदीवाला, जे. (सहमत)

पकड़नाः 1. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक

व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, प्रभारी था, और [2023] 4 एस. सी. आर. के संचालन के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार था।

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। "साथ ही" अभिव्यक्ति एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में आती है। इस अभिव्यक्ति का अर्थ है "ऑन पार"। इसलिए, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार ऐसे व्यक्तियों का दायित्व इस प्रकार सह-व्यापक है। [पैरा 33] [1007-एच; 1008-ए-बी]

2. लेनदार के पास इस प्रक्रिया में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

आई. बी. सी. एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, यह सभी को सूर्य के नीचे बांध देगा। दावा करने और जो भी हिस्सा आवंटित किया जाता है उसे स्वीकार करने को लेनदार की ओर से "अनैच्छिक अधिनियम" कहा जा सकता है। आई. बी. सी. के तहत दावा करने और उसे स्वीकार करने और कोई दावा नहीं करने से आई. बी. सी. की धारा 31 के आलोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों स्थितियाँ धारा 31 और समाधान योजना की अंतिमता और बाध्यकारी मूल्य की ओर ले जाएंगी। सबसे अच्छा, यह कहा जा सकता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक राशि से,

समाधान योजना में कटौती की जा सकती है। [पारस 41,42] [1020-डी-एफ]

3. यह सच है कि आई. बी. सी. की धारा 238 के आधार पर, सी. आर. पी. सी. के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में इसके साथ असंगत है। लेकिन, आई. बी. सी. का कोई भी प्रावधान निदेशकों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है और

अधिकारीगण। यह भी उतना ही सच है कि एक बार जब कॉर्पोरेट देनदार समाधान प्रक्रिया के तहत आता है, तो उसके पूर्व प्रबंध निदेशक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकते हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 305 (2) में कहा गया है कि जहां कोई निगम अभियुक्त व्यक्ति है या

जाँच या मुक़दमे में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक, यह जाँच या मुक़दमे के उद्देश्य के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुहर के तहत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह केवल समाधान पेशेवर है जो आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आरोपी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कार्यवाही समाप्त होने के बाद, या तो निगमित इकाई को भंग किया जा सकता है या इसे एक नए प्रबंधन द्वारा लिया जा सकता है, जिस स्थिति में कंपनी अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम को जारी रखेगी।

पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड।

मौजूद है। जब कोई नया प्रबंधन कार्यभार संभालेगा, तो उसे कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि समाधान प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कंपनी भंग हो जाती है, तो जाहिर है

इसके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करना होगा। लेकिन फिर भी, इसके पूर्व निदेशक स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जहां एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और विचाराधीनता के दौरान योजना को मंजूरी दे दी जाती है या कंपनी भंग हो जाती है, निदेशक और

अन्य अभियुक्त इसके विघटन का हवाला देकर अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं। जो भंग किया जाता है वह केवल कंपनी है, न कि धारा 141 के तहत आरोपी का व्यक्तिगत दंडात्मक दायित्व।

एन. आई. अधिनियम। उन्हें अनीता हाड़ा [पारस 49,50 और 52] [1030-एच; 1031-बी-डी; 1032-बी-सी] में निर्धारित कानून के मद्देनजर अभियोजन का सामना करना जारी रखना होगा। 4. आई. बी. सी. की धारा 14,31 और 32 ए और एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और 141 के जवाब की व्याख्या करते समय सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और

पीछा किया। हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देकर / योजना की मंजूरी के बाद भी, जो हासिल किया जाता है वह विसंगत और बेतुकी स्थितियों को दूर करके कानून के कामकाज में एकरूपता है, जिससे इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप बनाया जाता है। उक्त व्याख्या का संरक्षण करता है

स्पष्ट रूप से मनमाना होने के हमले से संबंधित प्रावधान। [पैरा 54] [1033-सी-ई]

5. यदि यह तर्क कि आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत ऋण की समाप्ति से हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक का निर्वहन होता है

योजना के स्वीकृत होने के बावजूद, गारंटर को शेष राशि के लिए अलग से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यदि गारंटर को आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत ऋण मिटाने का लाभ नहीं मिलता है, तो इसी तरह ऋण मिटाने के लिए, हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे ऋण के उन्मूलन की व्याख्या पर कानून के पहले सिद्धांतों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। [पैरा 60] [1034-जी-एच; 1035-ए-बी] 6. आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (ई) में समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए समाधान पेशेवर की आवश्यकता होती है, केवल तभी जब [2023] 4 एस. सी. आर.

उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार, समाधान योजना के खंड लागू अधिनियम/नियमों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह समाधान योजना है जिसे लागू कानूनों का पालन करना होता है। हाथ में मामले में, धारा 138 एन. आई. के तहत कॉर्पोरेट देनदार को कोई प्रभाव देने वाला कोई भी खंड

अधिनियम की कार्यवाही का उपयोग धारा 138/141 NI अधिनियम के तहत हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों की सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 65] [1039-एफ-जी]

7. ' यौगिक 'और' रद्द करना 'समानार्थी शब्द नहीं हैं। कानून में, उनके अलग-अलग अर्थ और परिणाम हैं।

वे विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों और चरणों में काम करते हैं। इस हद तक कोई स्पष्ट कानूनी परस्पर निर्भरता या परस्पर संबंध नहीं है कि एक का अस्तित्व केवल तभी हो सकता है जब दूसरे की शर्तें पूरी हों या इसके विपरीत। रद्द करना अंतर्निहित शक्तियों के पहलुओं में से एक है, जबकि किसी अपराध का चक्रवृद्धि धारा 320 के तहत निहित एक वैधानिक अभिव्यक्ति है।

पूरी तरह से एक अलग अवधारणा। [पैरा 71] [1040-ई-एफ]

8. अभिव्यक्ति 'समझौता' और 'संयोजन' आपराधिक न्यायशास्त्र में समानार्थी शब्द नहीं हैं, भले ही ये

दबाव का उपयोग आमतौर पर बिना किसी भेद के किया जाता है। यदि शर्तें अवैध नहीं हैं तो पक्षों के बीच किसी भी विवाद से समझौता किया जा सकता है। लेकिन केवल कानून द्वारा अनुमत एक शमनीय अपराध हो सकता है संयोजित। मामला दर्ज होने से पहले ही अपराध से संबंधित विवाद से समझौता किया जा सकता है और उस मामले में, अपराध का शिकार व्यक्ति शिकायत दर्ज करने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर समझौते के बावजूद, अगर वह शिकायत दर्ज करता है और अदालत को पता चलता है कि जो समझौता किया गया है वह तथ्यों के आधार पर एक शमनीय अपराध है और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इनकार कर सकते हैं, या आरोपी को बरी कर सकते हैं क्योंकि अपराध चक्रवृद्धि था या शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में रद्द किया जा सकता है। एक समझौते में, पक्षों के बीच देने और लेने के लिए सहमति अधिक महत्वपूर्ण है और एक चक्रवृद्धि में, अपराध के पीड़ित का मुकदमा नहीं चलाने और अभियोजन जारी नहीं रखने का निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है। [पारस 72,73] [1040-एफ-एच; 1041-ए-बी]

9. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अनुसार, जब चेक का अनादर किया गया था और चेक राशि की मांग करने के लिए एक वैधानिक नोटिस दिया गया था

जारी किया गया था, आरोपी 15 अजय कुमार राधेश्याम के भीतर चेक राशि का भुगतान करेगा

गोयनका वी. पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड।

वैधानिक सूचना की प्राप्ति के बावजूद चेक राशि का भुगतान नहीं करके अभियुक्त द्वारा पहले से किए गए अपराध के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत। आपराधिक अदालत के समक्ष एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए चेक का अपमान किया गया था और मांग नोटिस की सेवा के बावजूद, क्या उसने राशि का भुगतान नहीं किया था। आई. बी. सी. और एन. आई. अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने के लिए आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं है। [पैरा 75] [1041-सी-एफ] 10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित सभी निर्णयों का परिणाम यह है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही हुई थी।

मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के साथ शुरुआत हो चुकी है और विचाराधीनता के दौरान, कंपनी को मिल जाता है

हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक इसके विघटन का हवाला देते हुए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपने दंडात्मक दायित्व से बच नहीं सकते हैं। जिसे भंग किया जाता है, वह केवल कंपनी है, न कि धारा 141 के तहत आरोपी का व्यक्तिगत दंडात्मक दायित्व।

एन. आई. अधिनियम। [पैरा 85] [1051-जी-एच; 1052-ए-बी]

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और आई. बी. सी. की धारा 32 ए के प्रावधानों के आलोक में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही केवल निगम के संबंध में समाप्त हो जाएगी। ऋणी यदि उसे एक नए प्रबंधन द्वारा ले लिया जाता है। (ख) उन हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों के संबंध में धारा 138 की कार्यवाही जो धारा 32 ए (1) के दो प्रावधानों द्वारा उत्तरदायी/कवर हैं, कानून के अनुसार जारी रहेगी। [पैरा 86] [1052-बी-डी] [2023] 4 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. बी. पारदीवाला के निर्णय में, जे. : स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275; पी. मोहनराज और अन्य बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021) 6 एस. सी. सी. 258; एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य (2022) 2 एस. सी. सी. 401 के लेनदारों की समिति; ललित कुमार जैन बनाम। भारत संघ और अन्य (2021) 9 एस. सी. सी. 321; गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। कृष्ण नाथ ए. और अन्य (2019) 20 एससीसी 38; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। वी. रामकृष्णन और एक अन्य (2018) 17 एससीसी 394: [2018] 10 एससीआर 974; विजय कुमार जैन बनाम। मानक चार्टर्ड बैंक (2019) 20 एस. सी. सी. 455; जे. आई. के.

इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम। अमरलाल वी. जुमानी और एक अन्य (2012) 3 एससीसी 255 [2012] 3 एससीआर 114; नरिंदर गर्ग और अन्य बनाम। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और अन्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 517

पर।

अजीत बाल्से बनाम। रंगा करकेरे (2015) 15 एस. सी. सी. 748; घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2021) 9 एससीसी 657; मनीष कुमार बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2021) 5 एस. सी. सी. 1; अनिल हाडा बनाम। इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड (2000) 1 एस. सी. सी. 1: [1999] 5 पूरक। एस. सी. आर. 6-संदर्भित।

इंडोरामा सिंथेटिक्स (1) लिमिटेड, नागपुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2611· संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 15 एस. सी. सी. 748

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

(2021) 6 एस. सी. सी. 258

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

[2019] 16 एससीआर 275

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

(2021) 9 एस. सी. सी. 657

संदर्भित किया गया है

पैरा 40 अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(2022) 2 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(2021) 5 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2012] 3 एससीआर 114

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[1999] 5 पूरक। एससीआर 6

संदर्भित किया गया है

पैरा 50

(2019) 20 एससीसी 38

संदर्भित किया गया है

पैरा 62

[2018] 10 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

पैरा 76

(2019) 20 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

172 2023 तक।

अतिरिक्त के 23.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सत्र न्यायाधीश-02 दक्षिण पूर्व जिला, साकेत, नई दिल्ली, सी. आर. एल. 2019 का रेव. नं. 784।

के साथ

सीआरएल। ए. नं. 170 और 2023 का 171।

निखिल गोयल, आदित्य शर्मा, कार्तिक कौशल, मनोज राजपूत, एड.

अपीलार्थी के लिए।

राजीव रंजन द्विवेदी, वेद प्रकाश, मनोज कुमार। झा, आशीष के.

सिंह, सुनील कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः

1. मेसर्स रेनबो पेपर्स लिमिटेड (निगमित कंपनी और

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत), जिसमें से अजय कुमार राधेश्याम गोयनका, हमसे पहले अपीलार्थी, प्रवर्तक थे और

प्रबंध निदेशक ने एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड, जो हमारे सामने प्रतिवादी है, से अपनी विभिन्न निगमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मांगा। कंपनी के प्रस्ताव पर प्रतिवादी द्वारा विचार किया गया और रुपये के सावधि ऋण के लिए मंजूरी दी गई। 30.00 करोड़। अनुमोदन के अनुसरण में, नई दिल्ली में 27.03.2012 पर एक ऋण समझौते को निष्पादित किया गया था।

2. समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए,

अभियुक्त कंपनी ने रुपये का पोस्ट-डेट चेक जारी किया। 25,47,945 / - असर [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडियन ओवरसीज बैंक, कालुपुर सर्कल शाखा, रेलवे पुरा, अहमदाबाद में एक किश्त के भुगतान के लिए चेक संख्या 090656 दिनांकित 15.02.2016 तैयार की गई है। उत्तरदाता यानी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, नेहरू प्लेस शाखा, नई दिल्ली के बैंकरों को चेक प्रस्तुत किए जाने पर, "खाता बंद" होने के कारण से मेमो दिनांक 07.04.2016 के माध्यम से चेक वापस कर दिया गया था।

3. <आई. डी. 1 पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक मांग-सह-कानूनी नोटिस (जिसे इसके बाद एन. आई. के रूप में संदर्भित किया गया है)।

अधिनियम ') कंपनी को बुलाने वाले प्रतिवादी की ओर से जारी किया गया था

जैसा कि अभियुक्त नं. 1 और इसमें अपीलार्थी अभियुक्त सं। 2 निगमित ऋण दिनांक 27.03.2012 के माध्यम से अग्रिम ऋण का निपटान करने के लिए। अभियुक्त ने दिनांकित जवाब के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार किया

28.04.2016 . राशि का भुगतान नहीं किया गया था और इस प्रकार, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 1, धारा 141 2 और धारा 142 3 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में आपराधिक शिकायत संख्या 16.05.2016 दायर की गई थी। शिकायत पर श्री एन. रामचंद्रन, उप महाप्रबंधक (कानून) द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया गया था। उत्तरदाता कंपनी। मध्यस्थता का प्रयास किया गया था लेकिन था

सफल नहीं हुआ और इस प्रकार, अगली तारीख 15.01.2018 के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्धारित की गई थी। इस बीच, एक विकास हुआ कि 2017 में मैसर्स नीरज पेपर एजेंसीज लिमिटेड ने खुद को 'परिचालन लेनदार' के रूप में पेश करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आईबीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 (इसके बाद 'आईबी नियम, 2016' के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के साथ पढ़ा गया।

अभियुक्त कंपनी के खिलाफ प्रक्रिया, इसे 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में मानते हुए। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 12.09.2017 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त दिवाला आवेदन को स्वीकार कर लिया।

4. इसमें प्रत्यर्थी ने ऋण के लिए अपना दावा 13.10.2017 पर दायर किया, जो कि एन. आई. अधिनियम की कार्यवाही का विषय था। संदर्भों में

समाधान योजना दिनांक 26.05.2018 के अनुसार, समाधान आवेदक (कुशल लिमिटेड) ने समाधान योजना दायर की और 05.06.2018 पर ऋणदाताओं की समिति की बैठक के दौरान यह सूचित किया गया कि

इसमें प्रत्यर्थी को सुरक्षित वित्तीय लेनदार नहीं माना जा सकता है। 1 खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। 2 कंपनियों द्वारा अपराध।

3 अपराधों का संज्ञान।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

असुरक्षित वित्तीय लेनदार। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आपत्तियों के रूप में आवेदन दाखिल किए जहां स्थिति को असुरक्षित से सुरक्षित वित्तीय लेनदार में बदलने की मांग की गई थी।

5. अब एन. आई. ए. की कार्यवाही की ओर मुड़ते हुए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12.11.2018 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें आदेश को खारिज कर दिया गया।

व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अपीलार्थी का आवेदन। यह, बदले में, शाह में एन. सी. एल. ए. टी. की टिप्पणियों पर आधारित था।

एक दंडात्मक प्रावधान, जो सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय को कारावास या जुर्माने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है, जिसे दंडनीय नहीं माना जा सकता है। कार्यवाहियाँ या धन के दावे का कोई निर्णय या डिक्री। इस प्रकार, यह आई. बी. सी. की धारा 14 के दायरे में नहीं आएगा और इस प्रकार, एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही एक साथ जारी रह सकती है।

6. इस प्रकार, अपीलार्थी ने वर्तमान मामले में विचाराधीन शिकायत मामले के निर्वहन के लिए एक आवेदन दायर किया, जो था

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 01.11.2019 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा पसंद की गई आपराधिक संशोधन याचिका

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 784 को भी उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा और इसे रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया। 20,000 / - अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को भुगतान किया जाना। यह वह आदेश है, जिस पर अब हमारे सामने हमला करने की मांग की गई है।

अपीलार्थी की दलीलें:

7. विद्वान वकील श्री निखिल गोयल ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का कारण यह है कि

कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का भुगतान। एक बार जब ऋण स्वतः समाप्त हो जाता है, या तो धारा 31 के तहत या आई. बी. सी. की धारा 38 से 41 और 54 से प्रक्रिया में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का आधार गायब हो जाता है। हम ध्यान दे सकते हैं कि ये प्रावधान आई. बी. सी. के अध्याय III के अंतर्गत आते हैं।

8. 'ऋण' शब्द का अर्थ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण के तहत 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' होगा और इसे इसके साथ पढ़ा जा सकता है।

आई. बी. सी. की धारा 2 (6) और 2 (8)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही की प्रकृति मुख्य रूप से प्रतिपूरक और दंडात्मक है।

क्षतिपूर्ति प्रावधानों को लागू करने में तत्व को शामिल किया जाता है।

इसलिए, एक बार वसूली आंशिक रूप से धन की प्राप्ति द्वारा की जाती है और आंशिक रूप से छूट द्वारा, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10. अंत में यह आग्रह किया गया कि यदि कंपनी के ऋण का समाधान हो जाता है तो भुगतान समाधान योजना के तहत किया जाएगा। अगर

ऋणों का समाधान नहीं किया जाता है, फिर कंपनी की परिसंपत्तियों को आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार वितरित किया जाना है।

प्रत्यर्थी की याचिकाः

11. प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया कि उपरोक्त ऋण राशि Rs.30 के पुनर्भुगतान के लिए चेक दिया जाए।

31.03.2015 पर देय Rs.10 करोड़ की पहली किस्त और 31.03.2016 पर देय Rs.20 करोड़ की दूसरी किस्त के साथ दो किश्तों में राशि। अभियुक्त कंपनी को ऋण की उक्त मूल राशि पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता था और ऐसा ब्याज था - हर महीने की 15 तारीख को मासिक रूप से देय, जो तारीखों और चेक राशि के अनुरूप था।

12. यह आग्रह किया गया कि अभियुक्त कंपनी ने अपीलार्थी के साथ जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए चेक दिया

प्रत्यर्थी ने उससे ऋण लेना और बाद में ऋण राशि हड़पना और इसलिए बैंक खाता बंद कर दिया था। हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते अपीलकर्ता अभियुक्त कंपनी के साथ सीधे उत्तरदायी था। अपीलार्थी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था जैसा कि कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित उपरोक्त ऋण समझौते से अनुमान लगाया जा सकता है।

उसे भी।

हमारा दृष्टिकोणः

13. हम ध्यान दे सकते हैं कि 20.09.2022 पर कुछ एसएलपी को वापस लेने के साथ, विचाराधीन एसएलपी के संबंध में, अंतरिम आदेश था

आपराधिक कार्यवाही के रूप में तत्काल सूचीबद्ध करने के निर्देश के साथ पूर्ण बनाया गया

रह गए थे। पक्षों के विद्वान वकील ने कहा कि वे संक्षिप्त सारांश दाखिल करेंगे जो प्रत्येक तीन पृष्ठों से अधिक नहीं होगा और उनके संबंधित प्रस्तुतियों के लिए प्रत्येक को 15-20 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। उपरोक्त के संदर्भ में हमने इन पर तर्क सुने

17.01.2023 जब हमने अनुमति दी और निर्णय सुरक्षित रखा।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

14. अपीलार्थी ने सारांश पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने यह आश्वासन देने के बावजूद कि वे सारांश प्रस्तुत करेंगे, ऐसा करने की परवाह नहीं की है और हम रिकॉर्ड के आधार पर गए हैं। यह स्थिति 12.03.2023 तक प्रचलित है और हम इसे नहीं मानते हैं।

अधिक प्रतीक्षा करना उचित है। हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी सारांश दाखिल करके न्यायालय को कोई और सहायता प्रदान करने में रुचि नहीं रखता है। सौभाग्य से उनके लिए, इसके बाद दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए,

उन्होंने वास्तव में इसके परिणाम नहीं झेले हैं। 15. यह मुद्दा कि क्या प्रतिवादी उक्त संहिता के अर्थ के भीतर एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार है या एक असुरक्षित वित्तीय लेनदार है, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उक्त संहिता के तहत कार्यवाही या उससे किसी भी अपील का मामला है। एकमात्र मुद्दा जिससे हम चिंतित हैं वह यह है कि क्या उक्त संहिता के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, एन. आई. अधिनियम के तहत वर्तमान कार्यवाही जारी रह सकती है।

एक साथ या नहीं।

कार्यवाही। वे चरित्र में दंडात्मक हैं। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी व्यक्ति को कारावास या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह ब्याज के साथ राशि की वसूली नहीं है क्योंकि ऋण वसूली की कार्यवाही होगी। वे मुकदमा कार्यवाही के समान नहीं हैं। 17. यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया चाहे वह धारा 31 के तहत हो या धारा 38 से 41 के तहत जो ऋण को समाप्त कर सकती है।

दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने पर वास्तव में लागू होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. बी. सी. के तहत योजना के संदर्भ में ऋणों का निपटान करने के लिए पक्षों को त्याग करना पड़ता है, कंपनी का परिसमापन या पुनरोद्धार किया जा रहा है। हमारे सामने अपीलार्थी को चेक के हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ अभियुक्त [2023] 4 एस. सी. आर. के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

कंपनी, जिसने ऋण लिया। कंपनी की ओर से उनके द्वारा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। अपीलार्थी जो चाहता है वह पलायन है

ऋण की वसूली एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत परिणामों को माफ कर देगी, जो अस्वीकार्य है। 19. इस प्रकार, हमारा निर्णायक रूप से यह विचार है कि विवादित आदेश कानून में सही दृष्टिकोण रखता है और हमारे सामने हमला नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्षः

20. तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन पैरा 14 में हमने जो दर्ज किया है, उसके कारण हमारे समक्ष बिना किसी लागत के।

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. मैंने अपने सम्मानित भाई संजय किशन कौल, जे. की विशिष्ट राय को ध्यान से देखा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

इन कार्यवाहियों में विचार के लिए उत्पन्न सभी प्रमुख मुद्दों पर उक्त निर्णय में निहित चर्चा के साथ। साथ ही, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसमें शामिल मुद्दे हैं

महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने विचारों को लिखने के लिए भी इच्छुक हूं।

2. सुविधा के लिए, 2023 की आपराधिक अपील संख्या 170 (2020 की @SLP (CRL) संख्या 417) को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है।

3. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी (मूल शिकायतकर्ता) द्वारा दर्ज की गई शिकायत में मूल आरोपी संख्या 2 के कहने पर है।

पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, 'एन. आई. अधिनियम') और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 दक्षिण पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 2019 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 593 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महानगर मजिस्ट्रेट-09, एस. ई. डी. दिनांक <आई. डी. 2 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा आपराधिक कार्यवाही से निर्वहन की मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, अर्थात एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा स्थापित 2016 का शिकायत मामला संख्या 632984।

4. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 को लागू करते हुए सीधे इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को क्यों चुनौती दी। इस संबंध में, सारांश में किए गए निम्नलिखित कथन नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" याचिकाकर्ता सीधे इस माननीय न्यायालय का रुख कर रहा है, क्योंकि इस माननीय न्यायालय द्वारा पहले दो पहलुओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, इस दृष्टिकोण से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रद्द करने वाली याचिका पर विचार करने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, किसी भी अन्य अदालत के समक्ष एक याचिका के परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी आदेश होने की संभावना है और यह व्यर्थ में एक अभ्यास होगा। इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित पहले के मामले भी सीधे संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन से उत्पन्न हुए थे।

फैक्ट मैट्रिक्स

5. इसमें प्रत्यर्थी, अर्थात्, "भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड" (इसके बाद 'के रूप में संदर्भित किया जाएगा) शिकायतकर्ता ') ने रुपये की राशि अग्रिम दी थी। 30,00,00,000 / - (तीस करोड़) रेनबो पेपर्स लिमिटेड (मूल अभियुक्त) को कॉर्पोरेट ऋण के रूप में

नंबर 1/कॉर्पोरेट देनदार)। प्रासंगिक समय पर यहाँ अपीलकर्ता कंपनी का प्रबंध निदेशक अर्थात निगमित देनदार था। दोनों पक्षों के बीच लेन-देन 31.03.2012 पर हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि रुपये की राशि। 10.88 पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। 2016 में किसी समय, शिकायतकर्ता ने कॉर्पोरेट देनदार को शेष राशि का निपटान करने के लिए एक नोटिस जारी किया। 16.05.2016 पर, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी

निगमित ऋणी और अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतकर्ता

(निगम ऋणदाता के प्रबंध निदेशक) ऋण के आंशिक निर्वहन के लिए अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए तीन चेकों के अपमान के लिए। 57,00,000 / - (पचास-सात लाख)।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उपरोक्त शिकायत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत अदालत, नई दिल्ली के न्यायालय में दर्ज की गई थी।

7. 2017 में, परिचालन ऋणदाताओं में से एक ने एन. सी. एल. टी., अहमदाबाद के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में, 'आई. बी. सी.' या 'आई. बी. सी., 2016') की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें निगमित ऋणदाता के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (संक्षेप में, 'सी. आई. आर. पी.') शुरू करने की मांग की गई।

8. एन. सी. एल. टी. द्वारा 12.09.2017 पर दिवाला आवेदन स्वीकार किया गया।

9. 3.10.2017 पर, शिकायतकर्ता ने रुपये का अपना दावा दायर किया। 22,50,00,000 / - अंतरिम समाधान पेशेवर (के लिए) से पहले करोड़ (लगभग)

संक्षेप में, 'आई. आर. पी')।

10. 26.05.2018 पर, समाधान आवेदक ने अपनी समाधान योजना दायर की, जिसकी शर्तों के तहत शिकायतकर्ता को भुगतान पूरी तरह से किया गया था

और निगमित देनदार के खिलाफ उसके सभी दावों का अंतिम निपटान। 11. 05.06.2018 पर, लेनदारों की समिति (संक्षेप में, 'सी. ओ. सी.') ने समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी दी। शिकायतकर्ता सीओसी के सदस्यों में से एक था।

12. 23.07.2018 पर, शिकायतकर्ता ने समाधान योजना पर एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपनी आपत्तियाँ दर्ज कीं जहाँ तक कि इसने अपनी स्थिति को बदल दिया है।

असुरक्षित लेनदार के लिए सुरक्षित।

मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एन. आई. अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही का आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है। 14. जहाँ तक निगमित देनदार का संबंध है, एन. सी. एल. टी. ने 27.02.2019 पर समाधान योजना को मंजूरी दी।

15. जैसे ही समाधान योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया, अपीलार्थी ने मुकदमे से पहले दिनांक 20.07.2019 पर एक आवेदन दायर किया।

अदालत ने प्रार्थना की कि उसे आपराधिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी का मामला यह था कि चूंकि आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही में ऋण का निपटारा हो गया था, इसलिए आपराधिक कार्यवाही नहीं चल पाएगी।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

16. निचली अदालत ने दिनांक 01.11.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया

उपरोक्त आवेदन अनिवार्य रूप से इस आधार पर था कि उसके पास समन विचारण योग्य मामले में किसी अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्रों के समक्ष 2019 का आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 593 दायर किया। मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 01.11.2019 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय

ऊपर उल्लिखित। अपीलार्थी ने पुनरीक्षण अदालत के समक्ष तर्क दिया कि जिस ऋण के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, वह अनुमोदित समाधान योजना का हिस्सा था और एन. आई. अधिनियम के तहत बकाया ऋण का निपटान किया गया था।

18. अतिरिक्त न्यायाधीश ने दिनांक 23.11.2019 के विवादित आदेश के माध्यम से संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया। 19. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर निर्दिष्ट, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री निखिल गोयल ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का कारण भुगतान न करना है।

ए.

कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण। एक बार जब ऋण स्वयं आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत या आई. बी. सी. की धारा 38 से 41 और 54 के जवाब की प्रक्रिया में समाप्त हो जाता है,

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का आधार अब नहीं बचा है। ऋण शब्द का अर्थ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण के तहत 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' होगा। यह

आई. बी. सी. के जवाब की धारा 2 (6) और 2 (8) के साथ पढ़ा जा सकता है।

बी.

दायित्व मुख्य रूप से कंपनी और अभियोजन का है

कंपनी के अभियोजन के लिए। यही कारण है कि एक निर्देशक पर बिना मुकदमा चलाए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक अभियुक्त के रूप में कंपनी। [अजीत बाल्से बनाम देखें। रंगा।

करकरेः (2015) 15 एस. सी. सी. 748]

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही की प्रकृति

सी.

मुख्य रूप से प्रतिपूरक है और दंडात्मक तत्व है

क्षतिपूर्ति प्रावधानों को लागू करने में निगमित। (पैरा 53 और 63 में पी. मोहनराज और अन्य बनाम। शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने (2021) 6 एस. सी. सी. [2023] 4 एस. सी. आर. में सूचना दी।

258) . इसलिए, एक बार जब वसूली की जाती है, तो आंशिक रूप से धन की प्राप्ति और आंशिक रूप से छूट द्वारा, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यदि कंपनी के ऋण का समाधान हो जाता है तो भुगतान समाधान योजना के तहत नियंत्रित किया जाएगा। यदि ऋण का समाधान नहीं किया जाता है तो कंपनी की परिसंपत्तियों को आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार वितरित किया जाना है। दो की अनुमति इसलिए जारी रहने वाली कार्यवाही भी विफल हो जाएगी।

आई. बी. सी. की धारा 31 या धारा 53, जैसा भी मामला हो।

श्री गोयल ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने पी. मोहनराज (ऊपर) में

आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के संबंध में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के संबंध में कानून की स्थिति पर विचार किया और निर्णय के पैरा 102 में इसका जवाब दिया। श्री गोयल ने बताया कि इस न्यायालय ने दोनों के बीच एक अच्छा अंतर किया है। निगमित देनदार और प्राकृतिक व्यक्तियों ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एक निगमित देनदार को अधिस्थगन की अवधि के दौरान धारा 138 की कार्यवाही से संरक्षित किया जाएगा, वहीं प्राकृतिक व्यक्तियों को इस तरह के संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और प्राकृतिक व्यक्तियों के खिलाफ धारा 138 की कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि, श्री गोयल के अनुसार, यह न्यायालय इस तरह के विभाजन की शुद्धता में नहीं जा सकता है जैसा कि मामले में है।

हाथ में, कार्यवाही की अवधि से परे हैं अधिस्थगन। श्री गोयल ने बताया कि पी. मोहनराज (उपरोक्त) में निर्णय के पैरा 6 में तैयार किया गया प्रश्न केवल आई. बी. सी. की धारा 14 के लागू होने तक ही सीमित है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही।

श्री गोयल का मुख्य तर्क यह है कि यदि आई. बी. सी.

कार्यवाही धारा 14 से परे चली गई है, इस प्रक्रिया से या तो आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत समाधान योजना की स्वीकृति होगी या उसके बाद कंपनी का परिसमापन होगा।

आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत दावों का निर्धारण। श्री गोयल के अनुसार आई. बी. सी. की धारा 31 लागू है।

वर्तमान मुकदमे के लिए।

ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में श्री गोयल प्रार्थना करते हैं कि

अपनी अपील में इसकी अनुमति दी जा सकती है और अपीलार्थी को अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जा सकता है।

पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उत्तरदाता के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

(शिकायत)

22. दूसरी ओर, इस अपील का जोरदार विरोध किया गया है

श्री राजीव रंजन द्विवेदी द्वारा, शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले में, अपराधी आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू होने से बहुत पहले एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। दूसरे शब्दों में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा योजना के तहत मंजूरी मिलने से बहुत पहले संज्ञान लिया गया था।

आई. बी. सी. वह प्रस्तुत करेगा कि योजना से पहले अपीलार्थी द्वारा किया गया कथित अपराध केवल उक्त योजना के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से चक्रवृद्धि नहीं होगा। वह करेगा।

इसके खिलाफ समाप्त हो जाएगा, हालांकि, चेक पर हस्ताक्षर करने वाला या इसके पूर्व निदेशक कानून के संचालन से पैदा हुई ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं। 23. शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने आई. बी. सी. की धारा 32 ए पर बहुत जोर दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो

एक 'नामित भागीदार' या एक 'अधिकारी जो चूक में है' या किसी भी तरह से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के प्रभारी/जिम्मेदार था या किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ था

और जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या शिकायत के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अपराध में शामिल था

निगमित देनदार द्वारा किए गए ऐसे अपराध के लिए जांच प्राधिकरण पर मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी रहेगा, भले ही निगमित देनदार का दायित्व आई. बी. सी. की धारा 32 ए के प्रावधान के तहत समाप्त हो गया हो। 24. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर उल्लिखित, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, यह हो सकता है

बर्खास्त कर दिया।

विश्लेषण

25. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए आने वाले कानून के मौलिक प्रश्न को निम्नानुसार तैयार किया जा सकता हैः

चाहे इसके प्रकाश में:

((i)

शिकायतकर्ता ने कार्यवाही में भाग लिया है

आई. बी. सी., 2016 अपने दावे को आगे रखते हुए और लेनदार के रूप में कुछ हिस्से को स्वीकार करने के लिए सहमति देते हुए;

धारा 31 के तहत समाधान योजना का अनुमोदन

((ख)

आई. बी. सी., 2016; दैनिक मामलों के प्रभारी हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक को दंड से मुक्त/मुक्त कर दिया जाएगा।

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायित्व?

26. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों में से किसी एक पर प्रचार करने से पहले आई. बी. सी., 2016 के रूप में एन. आई. अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना आवश्यक है।

27. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार है:

" 138. निधियों की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर

खाते में। —

जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

उसके द्वारा किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक बैंकर के साथ रखा गया उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को पैसे देने के लिए

किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन,

बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, या तो राशि के कारण

उस खाते में जमा होने वाली राशि अपर्याप्त है।

चेक का सम्मान करने के लिए या यह कि यह व्यवस्थित राशि से अधिक है

उसके साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान किया जाना

बैंक, ऐसे व्यक्ति को प्रतिबद्ध माना जाएगा

इस अधिनियम के तहत, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ जो बढ़ाया जा सकता है

चेक की राशि का दोगुना, या दोनों के साथः बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा

जब तक कि

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस दिन इसे निकाला गया है या

इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(ख) चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक, के रूप में

मामला हो सकता है, जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम को लिखित में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

चेक लेने वाला, भुगतान न किए गए चेक की वापसी के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर; और

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता चेक के नियत समय के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य दायित्व के ऋण" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य।

दायित्व "।

28. एन. आई. अधिनियम की धारा 139 अनुमान लगाती है। वही पढ़ता है

" 139. धारक के पक्ष में अनुमान। यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि किसी चेक के धारक को किसी ऋण या अन्य ऋण के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।

दायित्व "।

29. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित करती है।

एन, जो अपराध के समय, किसी के भी व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए उत्तरदायी था। धारा 141 इस प्रकार हैः

" 141. कंपनियों द्वारा अपराध। - (1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति

जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और वह उत्तरदायी होगा

उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और तदनुसार दंडित किया गयाः

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया थाः

बशर्ते कि जहाँ किसी व्यक्ति को एक के रूप में नामित किया जाता है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद या रोजगार के आधार पर किसी कंपनी के निदेशक [2023] 4 एस. सी. आर.

या केंद्र के स्वामित्व या नियंत्रण वाला वित्तीय निगम सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, वह

इस अध्याय के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी की ओर से उपेक्षा कंपनी के अन्य अधिकारी, जैसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव

या अन्य अधिकारी को भी इसके लिए दोषी माना जाएगा। अपराध और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और

तदनुसार दंडित किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

--

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें

फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ; और

((ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में अभिप्रेत है -

दृढ़ "।

30. एन. आई. अधिनियम की धारा 142 के संज्ञान के संबंध में है

सीई। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 142. अपराधों का संज्ञान। - (1) किसी भी बात के बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (के 2) में निहित

1974) ,

धारा 138 के तहत लिखित रूप में की गई शिकायत को छोड़कर देय समय पर प्राप्तकर्ता या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा

चेक का; (ख) ऐसी शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है।

जो परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण बनता है

धारा 138 के बारे मेंः

बशर्ते कि शिकायत का संज्ञान इसके द्वारा लिया जा सकता है

ऐसी अवधि के भीतर एक शिकायत। (ग) महानगर मजिस्ट्रेट से कम कोई अदालत नहीं या

प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का मुकदमा चलाएगा।

धारा 138 के अधीन दंडनीय।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(2) धारा 138 के तहत अपराध की जांच की जाएगी और

केवल उस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर,

बेशक, जैसा भी मामला हो, खाता बनाए रखता है, स्थित है; या

(ख) यदि चेक देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा एक खाते के माध्यम से,

दराज़ बैंक की शाखा जहां दराज़ खाता रखता है, स्थित है।

स्पष्टीकरण। खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक की बैंक की किसी शाखा में संग्रह के लिए चेक दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि चेक उस बैंक की शाखा में दिया गया है जिसमें प्राप्तकर्ता या धारक, यथास्थिति, नियत समय में खाते का रखरखाव करता है।

31. एन. आई. अधिनियम की धारा 147 में प्रावधान है कि एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध शमनीय होगा। धारा 147 इस प्रकार हैः

" 147. अपराध शमनीय होने चाहिए। इसके बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित कुछ भी, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध -

कम्पाउंडेबल "।

32. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध, उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाता है। इसके बाद, का प्राप्तकर्ता

चेक के पास दंड संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करके चेक निकालने वाले पर मुकदमा चलाने का विकल्प होता है। क्षेत्राधिकार आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में, 'सी. आर. पी. सी.')। अपराध का संज्ञान लेने के बाद आपराधिक अदालत मामले को अपने हाथ में लेती है। सी. आर. पी. सी. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटारा करना होगा। यदि शिकायतकर्ता किसी भी सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 लागू कर सकते हैं और आरोपी को बरी कर सकते हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 257 के तहत, अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी भी समय शिकायत वापस ली जा सकती है। एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध को चक्रवृद्धि किया जा सकता है। मुकदमे के समापन पर मामला बरी या दोषसिद्धि में समाप्त हो सकता है।

33. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो [2023] 4 एस. सी. आर. में है।

जिस समय अपराध किया गया था, वह प्रभारी था, और जिम्मेदार था

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के साथ-साथ कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और

जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए। "साथ ही" अभिव्यक्ति एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में आती है। इस अभिव्यक्ति का अर्थ है "ऑन पार"। इसलिए, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार ऐसे व्यक्तियों का दायित्व इस प्रकार है -

व्यापक।

आईबीसी की योजना, 2016

34. अब मैं आई. बी. सी. की योजना को समझने की कोशिश करूंगा।

35. यह एक व्यापक संहिता है, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, "पुनर्गठन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए और

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का दिवालिया समाधान। सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए।

36. आई. बी. सी. के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि विधानमंडल की राय थी कि इसके लिए मौजूदा ढांचा

दिवाला और दिवालियापन अपर्याप्त और अप्रभावी था और इसके परिणामस्वरूप

समाधान में अनुचित देरी। आई. बी. सी. का प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके, जिसमें सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन और एक दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना और उससे जुड़े या आकस्मिक मामले शामिल हैं। आई. बी. सी. ने एन. सी. एल. टी. और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) को दिवाला के समाधान के लिए निगमित व्यक्तियों, फर्मों और व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों के रूप में नामित करने का प्रावधान किया है।

परिसमापन और दिवालियापन। आई. बी. सी. को भारत के राजपत्र में दिनांक 28.05.2016 में प्रकाशित किया गया था। हालाँकि, आई. बी. सी. के प्रावधान लाए गए थे।

धारा 1 (3) के परंतुक के संदर्भ में अलग-अलग तिथियों से प्रभावी

आई. बी. सी.

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

37. आई. बी. सी. की धारा 7 वित्तीय लेनदार या ऋणदाता द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है।

कोई अन्य व्यक्ति या अधिक वित्तीय लेनदार संयुक्त रूप से। वित्तीय लेनदार चूक के प्रमाण और कॉर्पोरेट के संबंध में अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर के नाम के साथ निर्णय प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है।

ऋणी। एक बार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है, तो चूक की सीमा के रूप में और यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पूरा हो गया है और नहीं

38. आई. बी. सी. की धारा 8 में प्रावधान है कि एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, अवैतनिक भुगतान की मांग सूचना दे सकता है। निगमित देनदार को चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाले प्रचालन ऋण या चालान की प्रति, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जो निर्धारित किया जाए।

39. आई. बी. सी. की धारा 9 में कहा गया है कि नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद

धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विवाद के संबंध में, परिचालन लेनदार के लिए निर्णय लेने से पहले आवेदन दायर करने का अधिकार होगा। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकरण।

40. सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बाद निम्नलिखित होता हैः

(क) सार्वजनिक घोषणा के आलोक में सभी लेनदारों को अनिवार्य रूप से सी. आई. आर. पी. के समक्ष अपने दावे रखने होते हैं। (ख) उपरोक्त संदर्भ में, मुझे आई. बी. सी. के जवाब की धारा 13 और 15 पर ध्यान देना चाहिए।

धारा 13 और 15 का जवाब नीचे दिया गया हैः

" 13. स्थगन की घोषणा और सार्वजनिक घोषणा।

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, के प्रवेश के बाद धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदन एक आदेश द्वारा किया जाएगा।

(क) धारा में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिस्थगन घोषित करें।

14 ;

(ख) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा करें और धारा 15 और [2023] 4 एस. सी. आर. के तहत दावे प्रस्तुत करने का आह्वान करें।

(ग) इस तरीके से एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करें।

जैसा कि धारा 16 में निर्धारित किया गया है। (2) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा

धारा (1) नियुक्ति के तुरंत बाद बनाई जाएगी।

अंतरिम समाधान पेशेवर।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

15. निगमित दिवाला समाधान की सार्वजनिक घोषणा

प्रक्रिया।

(1) निगमित दिवालियापन की सार्वजनिक घोषणा

धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के तहत समाधान प्रक्रिया इसमें निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात्:

(क) निगमित ऋणी का नाम और पता

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया;

((ख) उस प्राधिकारी का नाम जिसके साथ निगमित ऋणी है।

निगमित या पंजीकृत है;

((ग) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो भी हो।

निर्दिष्ट];

(घ) अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण जो

निगमित देनदार के प्रबंधन के साथ निहित होना

और दावे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होना; (ई) झूठे या भ्रामक दावों के लिए दंड; और

(च) वह तिथि जिस पर निगमित दिवाला संकल्प

प्रक्रिया बंद हो जाएगी, जो एक सौ और होगी

प्रवेश की तारीख से अस्सीवाँ दिन

यथास्थिति, धारा 7,9 या धारा 10 के अधीन आवेदन

हो सकता है।

(2) इस धारा के तहत सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। ऐसी रीति से जो विनिर्दिष्ट की जाए। "

(ग) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समाधान पेशेवर के पास नहीं है

परिसमापक के विपरीत दावों के संबंध में अनुज्ञात्मक शक्तियाँ। द.

शिक्षा पेशेवर केवल दावों का मिलान करते हैं। इस संबंध में, स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में निर्णय का न्यायालय

(2019) 4 एस. सी. सी. 17 में रिपोर्ट किए गए भारत और अन्य का आयन मानता है

rtance। मैं स्विस रिबन (ऊपर) के पैरा 88-91 को नीचे उद्धृत करता हूंः

कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटनसीई सी. ओ. आर. पी. ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

ओलुशन पेशेवर के पास कोई निर्णय लेने की शक्तियाँ नहीं हैं

संहिता को पढ़ने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि

समाधान पेशेवर के पास कोई संकेत नहीं है

द्विभाषी शक्तियाँ। संहिता की धारा 18 एक अंतरिम समाधान पेशेवर के कार्यों को निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। — (1) टर्म रिज़ॉल्यूशन पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगाः

संबंध, अर्थात्

(क) निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करें, जिसमें निगमित देनदार से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

(i) पिछले दो वर्षों के लिए व्यावसायिक संचालन; ((ii) वित्तीय और परिचालन भुगतान

पिछले दो साल;

((ग) प्रारंभ पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची

तारीख; और

((घ) ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें।

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी करें और उसके संचालन का प्रबंधन करें जब तक कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान पेशेवर की नियुक्ति नहीं की जाती है। (ङ) सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फाइल जानकारी,

यदि आवश्यक हो; और (च) किसी भी परिसंपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना, जिस पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं, जैसा कि निगमित देनदार की तुलनपत्र में दर्ज है, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी या किसी अन्य के साथ।

अन्य रजिस्ट्री जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती है

सहित

(i) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं जो किसी विदेशी राज्य में स्थित हो सकते हैं।

((ii) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनके कब्जे में हो या न हो

निगमित देनदार;

बीमा पॉलिसियाँ; (vi)
स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ

एक अदालत या प्राधिकरण द्वारा;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं

बोर्ड।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद

" परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:

((ख) किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ। निगमित देनदार; और

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से

नियामक।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत, समाधान पेशेवर

किए गए दावों को सत्यापित करना और अंततः निर्धारित करना

प्रत्येक दावे की राशि इस प्रकार है:

“ 10. दावों का सार। अंतरिम संकल्प

जैसा भी मामला हो, पेशेवर या समाधान पेशेवर

हो सकता है कि वह ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण की मांग करे जो वह किसी लेनदार से पूरे या पूरे को प्रमाणित करने के लिए उचित समझे।

उसके दावे का हिस्सा।

*

*

दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना। - (1) उप के अधीन

(2), एक लेनदार पर सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करेगा या

सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि।

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(2) एक लेनदार, जो सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय के भीतर सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, दिवालिया होने के नब्बेवें दिन या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर को सबूत के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है।

तिथि.

(3) जहाँ उप-विनियम (2) में लेनदार एक वित्तीय है।

बशर्ते कि इस तरह का समावेश वैधता को प्रभावित नहीं करेगा इससे पहले समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का

समावेशन।

13. दावों का सत्यापन। - (1) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा, जैसा कि दिवाला पर है।

प्रारंभ तिथि, दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से सात दिनों के भीतर, और उसके बाद लेनदारों की एक सूची बनाए रखें जिसमें उनके द्वारा दावा की गई राशि, उनके दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, के साथ लेनदारों के नाम शामिल हों, और अद्यतन करें।

यह।

(2) लेनदारों की सूची होगी

(क) उन व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है जो

दावे के प्रस्तुत प्रमाण;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटरों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध;

((घ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया; और ((ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत किया गया।

14. दावे की राशि का निर्धारण। - (1) जहाँ किसी लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता के कारण सटीक नहीं है। या अन्य कारण, अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, [2023] 4 एस. सी. आर. बनाएगा।

उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दावे की राशि का सर्वोत्तम अनुमान।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, उप-विनियम (1) के तहत किए गए दावों के अनुमानों सहित स्वीकार किए गए दावों की राशि को जितनी जल्दी हो सके, संशोधित करेगा, जब उसे ऐसी अतिरिक्त जानकारी मिलती है जिसकी आवश्यकता होती है।

पुनरीक्षण "।

इन विनियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि समाधान पेशेवर को अर्ध-न्यायिक शक्तियों के विपरीत प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। वास्तव में, तब भी जब संकल्प

पेशेवर को विनियमन 35-ए के तहत "निर्धारण" करना है, उसे केवल निम्नलिखित निर्धारण के आधार पर उचित राहत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना हैः

" 35 - ए. तरजीही और अन्य लेनदेन। — (1) या पर

दिवाला के पचहत्तरवें दिन से पहले

शुरू होने की तारीख, समाधान पेशेवर एक राय बनाएगा कि क्या कॉर्पोरेट देनदार है

धारा 43 के अंतर्गत आने वाले किसी भी लेन-देन के अधीन,

45 , 50 या 66।

(2) जहाँ समाधान पेशेवर की राय है कि

निगमित देनदार को किसी के अधीन किया गया है

धारा 43,45,50 या 66 के तहत आने वाले लेन-देन, वह दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख के एक सौ पंद्रहवें दिन या उससे पहले एक निर्धारण करेगा,

बोर्ड को सूचना के तहत।

(3) जहां समाधान पेशेवर उप-विनियम (2) के तहत कोई निर्धारण करता है, वह उस पर या उससे पहले उचित राहत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा। दिवालिया होने का एक सौ पैंतीसवां दिन

आरम्भक तिथि '।

90. इसके विपरीत, परिसमापक को संहिता के तहत परिसमापन कार्यवाही में, दावों को समेकित और सत्यापित करना होता है, और निम्नलिखित के तहत ऐसे दावों को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है।

संहिता की धारा 38 से 40 तक। धारा 41 और 42, परिसमापक और समाधान पेशेवर की शक्तियों के बीच विरोधाभास के रूप में, नीचे दिए गए हैंः

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 41. दावों के मूल्यांकन का निर्धारण। परिसमापक

धारा के तहत स्वीकार किए गए दावों का मूल्य निर्धारित करेगा।

42. परिसमापक के निर्णय के खिलाफ अपील करें। एक लेनदार के विरुद्ध न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं

परिसमापक का दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय

इस तरह के निर्णय की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर।

इन खंडों से यह स्पष्ट है कि जब परिसमापक

" धारा के तहत स्वीकार किए गए दावों का मूल्य निर्धारित करता है

40 , इस तरह का निर्धारण एक "निर्णय" है, जो अर्ध है।

प्रकृति में न्यायिक, और जिसके खिलाफ अपील की जा सकती है

91. परिसमापक के विपरीत, समाधान पेशेवर नहीं कर सकता है अनुमोदन के बिना कई मामलों में कार्य करना

संहिता की धारा 28 के तहत लेनदारों की समिति,

जो दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव की जगह ले सकता है।

दूसरे के साथ पेशेवर, यदि वे नाखुश हैं

उसका प्रदर्शन। इस प्रकार, समाधान पेशेवर वास्तव में है

समाधान प्रक्रिया का एक सहायक, जिसका प्रशासनिक

कार्यों की देखरेख लेनदारों की समिति द्वारा की जाती है और

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा।

(घ) आई. बी. सी. की धारा 29 सूचना ज्ञापन से संबंधित है।

जिसके आधार पर समाधान योजना प्रस्तुत की जाएगी। इस डी में, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन 36 (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम,

जहां विनियम 36 (2) (डी) दावों को शामिल करता है, वह महत्व रखता है।

उग्र प्रकार के लेनदार। विनियम 36 (2) (डी) इस प्रकार हैः

" 36. सूचना ज्ञापन। - (1) उप-विनियम के अधीन

(4) , समाधान पेशेवर जानकारी प्रस्तुत करेगा

प्रत्येक सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ज्ञापन

उनकी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर समिति, लेकिन बाद में नहीं

दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पचास-चौथे दिन से, जो भी पहले हो।

(2) सूचना ज्ञापन में निम्नलिखित शामिल होंगेः

निगमित देनदार का विवरण (अ) XXXX

एक्सएक्स

XX

(घ) लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावा की गई राशि, स्वीकार किए गए उनके दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, वाली लेनदारों की सूची।

(ङ) उपरोक्त संदर्भ में, मैं एस्सार स्टील इंडिया के लेनदारों की समिति के मामले में इस निर्णय पर विचार कर सकता हूं।टेड वी. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य ने (2020) 8 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया

विशेष रूप से, पैरा 42-45 जो इस प्रकार हैः

" 42. संहिता की धारा 29 (1) के तहत, संकल्प

पेशेवर एक सूचना ज्ञापन तैयार करेंगे।

सभी प्रासंगिक जानकारी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, ताकि एक समाधान योजना तब एक संभावित द्वारा तैयार की जा सके

समाधान आवेदक। संहिता की धारा 30 के तहत, समाधान आवेदक को तब समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, जो सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई हो। इसके बाद समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करना होगा।

लेनदारों की समिति को, इसके अनुमोदन के लिए, ऐसी समाधान योजनाएं जो संहिता की धारा 30 (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप हैं, संहिता की धारा 30 (3) देखें। अगर समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति के आवश्यक बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर समाधान पेशेवर का कर्तव्य है कि वह समाधान योजना को प्रस्तुत करे जैसा कि द्वारा अनुमोदित है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को लेनदारों की समिति

संहिता की धारा 30 (6) देखें।

43. संहिता के उपरोक्त प्रावधानों को 2016 के विनियमों में दर्शाया गया है। उपर्युक्त के अध्याय IV के अधीन

विनियमन, परिचालन लेनदारों द्वारा दावे, वित्तीय लेनदारों, अन्य लेनदारों, श्रमिकों और कर्मचारियों को होना चाहिए

नियम 7 से 12 देखें। इसके बाद, विनियम 13, समाधान पेशेवर दिवाला शुरू होने की तारीख को प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा, और उसके बाद लेनदारों की एक सूची बनाए रखेगा जिसमें उनके द्वारा दावा की गई राशि, उसके द्वारा स्वीकार की गई राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, के साथ लेनदारों के नाम होंगे और उपरोक्त सूची को लगातार अपडेट करता रहेगा।

विनियम 13 (1) देखें।

44. विनियमों का अध्याय X तब प्रस्तुत की गई समाधान योजनाओं से संबंधित है। विनियमन 35 के तहत, "उचित मूल्य" जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जैसा कि विनियमन 2 (1) (एच. बी.) [विनियमन 2 (1) (एच. बी.), भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला) के तहत परिभाषित किया गया है।

निगमित देनदार, यदि निगमित देनदार होना था दिवाला शुरू होने की तारीख को परिसमापन; "] के तहत नियुक्त दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विनियम 27, जिसे प्रस्ताव को सौंपा जाएगा।

पेशेवर।

45. संहिता और विनियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के बाद, समाधान पेशेवर तब प्रत्येक को उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान करेगा।

लेनदारों की समिति के सदस्य-विनियमन 35 (2) देखें। विनियमन 36 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधार बनाता है

समाधान योजना प्रस्तुत करना। इस विनियमन द्वारा उल्लिखित सूचना ज्ञापन में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः

" 36. (2) (क) दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख के अनुसार, इस तरह के विवरण के साथ परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, जो आम तौर पर होती हैं।

उनके मूल्यों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

स्पष्टीकरण। — " विवरण "में इस तरह के विवरण शामिल हैं

अधिग्रहण की तिथि के अनुसार, अधिग्रहण की लागत, उपयोगी बनी हुई है

जीवन, पहचान संख्या, मूल्यह्रास प्रभारित, पुस्तक

मूल्य, और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण।

((ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण; (ग) निगमित देनदार के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

पिछले दो वित्तीय वर्षों और अनंतिम वित्तीय

चालू वित्त वर्ष के लिए एक तारीख तक किए गए विवरण

तारीख से चौदह दिनों से पहले नहीं

; [2023] 4 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) लेनदारों की एक सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावा की गई राशि, उनके दावों की राशि शामिल हो।

इस प्रकार के संबंध में स्वीकृत और प्रतिभूति हित, यदि कोई हो, दावे;

(ङ) निगम से या उससे देय ऋण का विवरण।

संबंधित पक्षों के संबंध में देनदार;

यह निर्दिष्ट करना कि कौन सा गारंटर एक संबंधित पक्ष है;
(छ) निगमित देनदार में कम से कम एक प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले सदस्यों या भागीदारों के नाम और पते।

हिस्सेदारी के आकार के साथ;
(ज) सभी भौतिक मुकदमों और सरकार द्वारा शुरू की गई चल रही जांच या कार्यवाही का विवरण और

वैधानिक प्राधिकरण;

((i) श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या और देनदारियाँ

उनके प्रति निगमित देनदार का;

(जे)-(के) * * *

(1) अन्य जानकारी, जो समाधान पेशेवर है

समिति के लिए प्रासंगिक समझते हैं। "

(च) सूचना ज्ञापन के आधार पर, समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 (1) के तहत प्रस्तुत की जाती है।

(छ) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिचालन लेनदार अनिवार्य रूप से परिसमापन मूल्य या उस राशि के हकदार हैं जो योजना उन्हें धारा 53 के तहत झरना तंत्र के अनुसार वितरित करने पर हकदार बनाती है, जो भी अधिक हो। (धारा 30 (2) (बी) देखें। (ज) असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए, वे परिसमापन की स्थिति में धारा 53 के तहत राशि के लिए अनिवार्य रूप से हकदार हैं।

(i) उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले में बरकरार रखा गया था। (देखें। पैरा 128-131)

(जे) यदि योजना उपरोक्त का पालन करने में विफल रहती है, तो समाधान योजना को अनिवार्य रूप से अस्वीकार किया जा सकता है।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(के) आई. बी. सी. की धारा 31 प्रस्ताव के अनुमोदन से संबंधित है

ऐसी योजना जो सभी को बाध्य करेगी अर्थात निगमित देनदार, गारंटर, लेनदार, अन्य हितधारक आदि। इस प्रकार, योजना के तहत लेनदार को जो भी राशि आवंटित की जाती है, उसे बिना किसी विकल्प के स्वीकार करना होगा।

(1) कॉर्पोरेट देनदार के नए अवतार को सौदा करने की आवश्यकता नहीं है

विभिन्न "हाइड्रा हेड्स" के साथ, यानी कई नए दावे सामने आने के बाद

योजना की मंजूरी (एस्सार स्टील का पैरा 107 (ऊपर))

(एम) उपरोक्त को "क्लीन स्लेट थ्योरी" के रूप में स्वीकार किया गया है।

(घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड का पैरा 93-94 देखें। एडलवाइस

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, (2021) 9 एस. सी. सी. 657)।

(एन) एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। समिति

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड के लेनदारों और (2022) 2 एस. सी. सी. 401 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य ने माना है कि समाधान योजना भी बाध्य करती है

लोग

जिन्होंने सहमति नहीं दी है। पारस 115 और 117 ने इस प्रकार जवाब दिया:

" 115. जबकि उपरोक्त अवलोकन संदर्भ में किए गए थे

न्यायनिर्णायक के अनुमोदन से पहले भी समाधान योजना प्राधिकरण सी. ओ. सी. और सफल लोगों के बीच बाध्यकारी है।

समाधान आवेदक। समाधान योजना का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है

विशुद्ध रूप से अनुबंध अधिनियम द्वारा शासित एक "अनुबंध" के रूप में, सी. ओ. सी. द्वारा इसकी स्वीकृति और अनुमोदन के बीच की अवधि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का। उस स्तर पर भी, यह बाध्यकारी है

प्रभाव आई. बी. सी. फ्रेमवर्क द्वारा उत्पादित होते हैं। बीएलआरसी रिपोर्ट

उल्लेख है कि "जब 75 प्रतिशत लेनदार पुनरुद्धार पर सहमत होते हैं

योजना, यह योजना शेष सभी पर बाध्यकारी होगी

लेनदारों "[3. 1 , दिवालियापन कानून सुधारों की रिपोर्ट समिति, खंड। आईः तर्क और डिजाइन (नवंबर 2015),

पी। 13 , <HTTPS पर उपलब्ध हैः //आईबीबी। गव. में/बी. एल. आर. सी. रिपोर्टवोल _

04112015.पी. डी. एफ.> अंतिम बार पहुँचा गया 20-8-2021] . बीएलआरसी रिपोर्ट

यह भी उल्लेख किया गया है कि, "आर. पी. एक बाध्यकारी समझौता प्रस्तुत करता है

डिफ़ॉल्ट अधिकतम तिथि से पहले न्यायनिर्णायक "[आईडी, पी। 92.] .

हमने आई. बी. सी. की वैधानिक योजना पर आगे चर्चा की है।

इस निर्णय की धारा I और J यह स्थापित करने के लिए कि एक संकल्प

योजना सी. ओ. सी. और सफल समाधान के बीच बाध्यकारी है।

आवेदक। इस प्रकार, उन [2023] 4 एस. सी. आर. को बांधने की संकल्प योजना की क्षमता।

जिन्होंने वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इसके लिए सहमति नहीं दी है, यह इंगित करता है कि यह एक विशिष्ट अनुबंध नहीं है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

117. ..... समाधान योजना की शर्तों में एक वाणिज्यिक शामिल है

सी. ओ. सी. और समाधान आवेदक के बीच सौदा। वहाँ है।

बाध्यकारी प्रभाव के साथ कानूनी संबंध बनाने का भी इरादा।

हालांकि, यह आई. बी. सी. की संरचना है जो कानूनी बल प्रदान करती है

सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजना पर। की वैधता

बाध्य लोगों में से (हालांकि एक प्रक्रियात्मक चरण के रूप में आई. बी. सी. की आवश्यकता है) साठ-छह प्रतिशत वोट लेनदारों के), लेकिन इसके अनुपालन पर

आई. बी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ।

(जोर दिया गया)

41. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि लेनदार के पास नहीं है

लेकिन आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प। एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, यह सभी को सूर्य के नीचे बांध देगा। दावा करने और जो भी हिस्सा आवंटित किया जाता है उसे स्वीकार करने को लेनदार की ओर से "अनैच्छिक अधिनियम" कहा जा सकता है। आई. बी. सी. के तहत दावा करने और उसे स्वीकार करने और कोई दावा नहीं करने से आई. बी. सी. की धारा 31 के आलोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों स्थितियाँ धारा 31 और समाधान योजना की अंतिमता और बाध्यकारी मूल्य की ओर ले जाएंगी।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, सबसे अच्छा, यह हो सकता है

उन्होंने कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक राशि से समाधान योजना के तहत प्राप्त राशि की कटौती की जा सकती है। (जैसा कि गारंटरों के साथ होता है)

आई. बी. सी. की धारा 32 ए

43. पी. मोहनराज (उपरोक्त) ने धारा 32 ए का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकाला है।

आई. बी. सी. की धारा 14 के साथ ताकि धारा 138 एन. आई. अधिनियम पर लागू हो, कार्यवाही। धारा 32 ए (1) बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए, नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 32 ए. पूर्व अपराधों आदि के लिए देयता। — (1) इसके बावजूद

इस संहिता या किसी अन्य में निहित इसके विपरीत कुछ भी

कुछ समय के लिए लागू कानून, एक निगम का दायित्व प्रारंभ से पहले किए गए अपराध के लिए देनदार

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद हो जाएगी,

और निगमित ऋणी पर इस तरह के कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने की तारीख से अपराध वाई कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम।

पर्यटनएएनसीई कॉर्प। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, यदि

समाधान योजना के परिणामस्वरूप प्रबंधन में परिवर्तन होता है यानिगमित देनदार का नियंत्रण उस व्यक्ति के लिए जो नहीं था

निगमित देनदार या ऐसे व्यक्ति का कोई संबंधित पक्ष; या (ख) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इसके लिए उकसाया या साजिश रची थी।

अपराध किया है, और प्रस्तुत किया है या दायर किया है संबंधित सांविधिक प्राधिकारी को रिपोर्ट या शिकायत या

अदालतः

बशर्ते कि यदि इस अवधि के दौरान अभियोजन शुरू किया गया था

इस तरह के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित ऋणी, यह इस उप-धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से मुक्त हो जाएगाः

बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो लिमिटेड की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित "नामित भागीदार" था

देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6), या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित एक "अधिकारी जो चूक में है", या किसी भी मामले में था।

निगमित देनदार का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी होने का तरीका

अपने व्यवसाय के संचालन के लिए या उससे संबंधित

किसी भी तरह से निगमित देनदार और जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अपराध में शामिल

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या शिकायत के अनुसार

जाँच अधिकारी, उत्तरदायी बना रहेगा

इस तरह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और दंडित किया गया

निगमित देनदार द्वारा इसके बावजूद कि निगमित

इस उप-धारा के तहत देनदार का दायित्व समाप्त हो गया है।

. आई. बी. सी. की धारा 32 ए को इस न्यायालय द्वारा कुमार बनाम में बरकरार रखा गया है। भारत संघ और एक अन्य ने (2021) 5 में रिपोर्ट किया कि इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उक्त धारा स्वामी को भागने की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार, यदि समाधान योजना के अनुमोदन के बाद हस्ताक्षरकर्ता को

अनुमति देने का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो यह धारा 32 ए के विधायी इरादे के विपरीत होगा।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार बरकरार रखा गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 326. हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी मामला नहीं है

धारा 32-ए को अमान्य करने की मांग की गई। सीमाएँ इस न्यायालय की अधिकारिता स्पष्ट है। का ज्ञान

कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। ध्यान में रखते हुए

संहिता का उद्देश्य, कार्य करने का अनुभव

संहिता, अधिकांश सहित सभी हितधारकों के हित

महत्वपूर्ण रूप से समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो उचित और निष्पक्ष पेशकश करने से नहीं कतराते

यदि विधायिका सोचती है तो संकल्प योजना के हिस्से के रूप में मूल्य

कि निगमित ऋणी के साथ-साथ उसे भी प्रतिरक्षा प्रदान की जाए

संपत्ति, यह शायद ही इस न्यायालय के लिए एक आधार प्रदान करता है

निगम के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन देनदार स्पष्ट रूप से नए प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है

अतीत के साथ एक साफ ब्रेक लें और एक साफ स्लेट पर शुरू करें। हम. इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित

प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। आदर भाव।

अदालतें न्यायसंगत रूप से मानती हैं कि ऐसे कानून लागू नहीं हो सकते हैं तत्काल मामले में भी। प्रावधान संदर्भ से संबंधित है

सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले किए गए अपराधों के लिए।

आवेदन के प्रवेश के साथ प्रबंधन

निगमित देनदार अंतरिम संकल्प के हाथों में चला जाता है

पेशेवर और उसके बाद संकल्प के हाथों में पेशेवर विषय निस्संदेह द्वारा नियंत्रण के लिए

ऋणदाताओं की समिति। जहाँ तक सुरक्षा की बात है

संपत्ति का संबंध है, इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है।

कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम शायद ही कोई देखते हैं प्रावधान में स्पष्ट मनमानी।

(जोर दिया गया)

45. पी. मोहनराज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया कि

32 ए पर केवल निगमित देनदार की रक्षा की जाती है न कि हस्ताक्षरकर्ताओं आदि की। हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों के खिलाफ अभियोजन

नया। पी. मोहनराज (ऊपर): -

इसमें शामिल मुद्दा यह था कि क्या संस्था/निरंतरता

ए।

एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138/141 के तहत कार्यवाही

कहा जाता है कि यह आई. बी. सी., 2016 की धारा 14 के अंतर्गत आता है।

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कि धारा 138 की कार्यवाही को "दीवानी" कहा जा सकता है।

बी।

"आपराधिक भेड़िये" के कपड़ों में भेड़।

न्यायालय ने कौशल्या देवी मस्संद बनाम पर भरोसा किया।

आई.

रूपकिशोर खोरे, (पैरा 59) [(2011) 4 एस. सी. सी 593]

और मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (पी) लिमिटेड v. कंचन

मेहता, (पैरा 63) [(2018) 1 एस. सी. सी. 560]

धारा 138 की कार्यवाही धारा 14 के अंतर्गत आती है।

सी।

आईबीसी, 2016। (पैरा 67)

धारा 14, आई. बी. सी. के तहत अधिस्थगन केवल लागू होता है

डी।

निगमित देनदार और प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है

एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 141 के तहत उल्लिखित। ने कहा कि

गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एस. सी. सी. 661। (पैरा 102)

मैं पी. मोहनराज (ऊपर) के पैरा 102 को इस प्रकार उद्धृत करता हूँ:

ई.

" 102. चूँकि निगमित देनदार द्वारा कवर किया जाएगा

धारा 14 आई. बी. सी. में अधिस्थगन प्रावधान है, जिसके द्वारा निगमित देनदार के खिलाफ धारा 138/141 की कार्यवाही जारी रखी जाती है और धारा 138/141 की शुरुआत की जाती है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान उक्त देनदार के खिलाफ कार्यवाही बाधित की जाती है, जो अनीता हाड़ा (2012) 5 एस. सी. सी. 661 में पैरा 51 और 59 में कहा गया है

फिर लागू हो जाता है। धारा 14 आई. बी. सी. में निहित कानूनी बाधा इस तरह की कार्यवाही को असंभव बना देगी।

निगमित देनदार के खिलाफ जारी रखना या स्थापित किया जाना। इस प्रकार, अधिस्थगन की अवधि के लिए, क्योंकि कोई धारा 138/141 नहीं है

सांविधिक अवरोधक कारण निगमित देनदारक विरुद्ध कार्यवाही जारी रहि सकैत अछि वा शुरू कयल जा सकैत अछि, एहिमे उल्लिखित व्यक्तिक विरुद्ध एहन कार्यवाही शुरू अथवा जारी राखल जा सकैत अछि।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (1) और (2)। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 14 आई. बी. सी. में निहित अधिस्थगन प्रावधान केवल निगम पर लागू होगा।

ऋणी, धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी बने हुए हैं।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. धारा 14, आई. बी. सी. के मुद्दे पर विचार करते समय, यह न्यायालय धारा 32 ए के साथ भी विस्तार से विचार करने का अवसर देता है। दूसरा परंतुक 32 ए (1) पर प्रश्नगत मुद्दे का पूर्ण उत्तर है। द.

पी. मोहनराज की पुस्तक में पारस 39-43 से दृष्टि की विस्तार से चर्चा की गई है। रास 39 से 43 इस प्रकार पढ़िए:

9. धारा 32-ए के अधिनियमन का कारण है

दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है

फरवरी 2020, जो इस प्रकार हैः

" 17. अपराधों के लिए निगमित ऋणदाता की देयता

इसमें धारा 10 के अनुसार लागू किया गया है दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन)

अध्यादेश, 2019।] 17.1 . संहिता की धारा 17 में यह प्रावधान है कि

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत, प्रबंधन की शक्तियाँ कॉर्पोरेट देनदार अंतरिम समाधान के साथ निहित है

पेशेवर। इसके अलावा, निदेशक मंडल की शक्तियां

या निगमित देनदार के भागीदार निलंबित हो जाते हैं, और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रयोग किया जाना है।

इसके बाद, धारा 29-ए, जिसे धारा 35 (1) (एफ) के साथ पढ़ा जाता है, स्थान देता है।

निगमित देनदार के संबंधित पक्षों पर प्रतिबंध

समाधान योजना का प्रस्ताव करना और संपत्ति खरीदना

सी. आई. आर. पी. और परिसमापन में निगमित देनदार का

क्रमशः प्रक्रिया। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में, प्रावधान

संहिता निगम के नियंत्रण में परिवर्तन को प्रभावी बनाती है ऋणी जिसके परिणामस्वरूप निगमित ऋणी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है

अपने पूर्ववर्ती प्रबंधन से। लेकिन कानूनी रूप से

निगमित देनदार सी. आई. आर. पी. में बना रहता है, और हो सकता है

समाधान योजना में संरक्षित। इसके अलावा, जबकि निगमित देनदार की संपत्ति भी हाथ बदल सकती है।

समाधान या परिसमापन पर, ऐसी संपत्ति भी जारी रहती है।

अस्तित्व में होना, या तो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के रूप में, या

खरीदार के हाथ।

17.2 . हालांकि, सी. आई. आर. पी. के शुरू होने के बाद या इसके सफल समाधान या परिसमापन के बाद भी, निगमित देनदार,

अपनी संपत्ति के साथ, अतिसंवेदनशील होगा आपराधिक अपराधों से संबंधित जांच या कार्यवाही Y कुमार राधेश्याम गोयनका v.

पर्यटन एंस कार्पोरेशन। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले इसके द्वारा प्रतिबद्ध, जिससे कुछ देनदारियां लागू होती हैं और

निगम ऋणी और उसकी संपत्तियों पर प्रतिबंध, क्रमशः एक समाधान आवेदक या एक सफल बोलीदाता द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहण किए जाने के बाद भी।

दायित्व जहाँ समाधान योजना को मंजूरी दी गई हो।

17.3 . यह समिति के सामने लाया गया था कि यह बनाया गया था

संभावित समाधान आवेदकों के बीच आशंका, जो किसी भी अपराध के लिए दायित्व नहीं लेना चाहते थे सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले प्रतिबद्ध। एक मामले में, जे. एस. डब्ल्यू. स्टील ने विशेष रूप से कुछ राहत मांगी थी और

रियायतें, समाधान योजना के एक अनुलग्नक के भीतर जो उसने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की थी।

[एस. बी. आई. वी. भूषण स्टील लिमिटेड, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. टी. 32305, पैरा 83 (आई)] इस तरह के दायित्व के अधिरोपण से राहत के बिना, समिति ने नोट किया कि लंबे समय में, संभावित समाधान आवेदकों को इन दायित्वों से हतोत्साहित किया जा सकता है। एक समाधान योजना का प्रस्ताव। समिति को इस बात की भी चिंता थी कि समाधान योजनाओं की कीमत औसतन कम हो सकती है, भले ही कॉर्पोरेट देनदार की कीमत कम हो।

समाधान आवेदकों द्वारा प्रतिकूल चयन के कारण कोई अपराध किया और जांच के अधीन नहीं था जो हो सकता है आशंका हो कि उन्हें उन अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिनका वे सूचना विषमता के कारण पता नहीं लगा पाए हैं। इस प्रकार, दायित्व का खतरा ईमानदारी से पड़ रहा है

जो व्यक्ति कानूनी इकाई का अधिग्रहण करते हैं, वे संभावित समाधान आवेदकों द्वारा इसके सफल अधिग्रहण की संभावनाओं को काफी कम कर सकते हैं।

17.4 . इससे संहिता के मूल्य अधिकतम करने के लक्ष्य में काफी बाधा आ सकती थी, और वित्तीय संस्थानों सहित लेनदारों के लिए वसूली कम हो सकती थी, जो अपनी बैलेंस शीट पर एन. पी. ए. के समाधान के लिए संहिता का सहारा लेते हैं। साथ ही, समिति इस बात से भी अवगत थी कि अधिकारी किसी भी अपराध के लिए दंडित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों में।

जनहित। इस प्रकार, दो प्रतिस्पर्धी चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

17.6 . इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने महसूस किया कि निगमित देनदार के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जिसने अपने पूर्ववर्ती के नियंत्रण में अपराध किए हों।

प्रबंधन, सी. आई. आर. पी. से पहले, और निगमित ऋणी जिसे हल किया जाता है, और एक असंबद्ध द्वारा लिया जाता है

समाधान आवेदक। जबकि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले निगमित देनदार की कार्रवाई होनी चाहिए

जाँच की गई और दंडित किया गया, दायित्व केवल उन लोगों पर लगाया जाना चाहिए जो इस अवधि में कॉर्पोरेट देनदार के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार का नया प्रबंधन, जिसके पास कुछ भी नहीं है

इस तरह के पिछले अपराधों के लिए, कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व प्रबंधन के कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे स्वयं शामिल न हों

अपराध करने में, या संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति थे

अपराध के समय या उसके बाद किसी भी समय निगमित देनदार का, और निगमित देनदार का अधिग्रहण कर सकता है, इसके तहत निषेध के बावजूद धारा 29-ए। [उदाहरण के लिए, जहां धारा 240-ए के तहत छूट लागू होती है।]

17.7 . इस प्रकार, समिति ने सहमति व्यक्त की कि एक नई धारा जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां निगमित देनदार का सफलतापूर्वक समाधान किया जाता है, उसे सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि सफल समाधान आवेदक भी नहीं हो।

अपराध करने में शामिल, या एक संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति था

अपराध करने के समय या उसके बाद किसी भी समय निगमित देनदार का।

17.8 . इसके बावजूद, वे व्यक्ति जो इसके संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के प्रति जिम्मेदार थे

इस तरह के अपराध के समय व्यवसाय, इस तरह के अपराध के लिए उत्तरदायी बना रहना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व समाप्त हो गया है। (मूल और आपूर्ति में जोर)

वाई कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटनएएनसीई कॉर्प। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

9. मनीष कुमार बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ [(2021) 5

सी. सी. 1] ने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

उनके न्यायालय ने टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी। 170-71 , पैरा 326)

" 326. हमारा स्पष्ट मत है कि धारा 32-ए को अमान्य करने का कोई भी मामला नहीं बनाया गया है। द.

इस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाएँ स्पष्ट हैं। कानून का विवेक न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। संहिता के उद्देश्य, संहिता के काम करने के अनुभव, सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता भी शामिल है, जो समाधान योजना के हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करने से पीछे नहीं हटेंगे, यदि विधायिका सोचती है कि निगमित ऋणी को उसकी संपत्ति के साथ-साथ छूट दी जाए, तो यह शायद ही इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार प्रदान करता है। प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। वे उत्तरदायी बने रहते हैं। का बुझाना

कॉर्पोरेट देनदार का आपराधिक दायित्व स्पष्ट रूप से है

अतीत के साथ और एक साफ स्लेट पर शुरू करें। हमें इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। सम्मान अदालतें न्यायसंगत हैं ऐसे कानूनों को तत्काल मामले में भी लागू नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किए गए अपराधों के संबंध में है। आवेदन को स्वीकार करने के साथ कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन अंतरिम के हाथों में चला जाता है।

समाधान पेशेवर और उसके बाद के हाथों में

समाधान पेशेवर विषय निस्संदेह लेनदारों की समिति द्वारा नियंत्रण। जहाँ तक संपत्ति को दी गई सुरक्षा का संबंध है, इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है। कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम शायद ही इसमें कोई स्पष्ट मनमानेपन देखते हैं

प्रावधान "।

1. धारा 32-ए को संभवतः धारा 14 (1) (ए) की सही व्याख्या पर कोई प्रकाश डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि धारा 32-ए को लागू करने का कोई कारण नहीं था।

कोई भी अधिस्थगन प्रावधान। खंड के केंद्र में [2023] 4 एस. सी. आर. है।

निगमित देनदार के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन, जिस तारीख से समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि नया प्रबंधन अतीत के साथ एक स्पष्ट विराम बना सके और एक स्पष्ट स्लेट पर शुरू कर सके। ए.

दूसरी ओर, अधिस्थगन प्रावधान किसी भी दायित्व, दीवानी या आपराधिक को समाप्त नहीं करता है, लेकिन केवल पहले से शुरू की गई कार्यवाही और शुरू की जाने वाली कार्यवाही पर एक छाया डालता है, जो अधिस्थगन अवधि के बाद हटा दी जाती है।

समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, धारा 32-ए (1) केवल उसके बाद ही काम करती है।

अधिस्थगन समाप्त हो जाता है। धारा 32-ए के केंद्र में आई. बी. सी. का मूल्य अधिकतम करने का लक्ष्य है और कॉर्पोरेट देनदार के परिणामस्वरूप लेनदारों को कम वसूली से बचने की आवश्यकता है।

आपराधिक दायित्व के संपर्क में रहना। 42. दुर्भाग्य से, धारा 32-ए का अनिवार्य रूप से मसौदा तैयार किया गया है। धारा 32-ए (1) का दूसरा परंतुक उन व्यक्तियों के बारे में बताता है जो

अपने व्यवसाय के संचालन के लिए निगमित देनदार के प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी या निगमित देनदार के साथ संबद्ध और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "ऐसे अपराध" के करने में शामिल हैं, अर्थात निर्दिष्ट अपराध।

उप-धारा (1) में, "जांच प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या दायर की गई शिकायत के अनुसार।" पेश की गई रिपोर्ट

यहाँ धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत एक पुलिस रिपोर्ट का उल्लेख है, और विशेष के तहत जांच अधिकारियों द्वारा दायर की गई शिकायतें

निजी शिकायतों के विपरीत अधिनियम। यदि दूसरे परंतुक की भाषा को धारा 32-ए (1) की भाषा की व्याख्या करने के लिए लिया जाता है कि धारा 32-ए (1) के तहत किए गए "अपराध" में निम्नलिखित शिकायतों के आधार पर अपराध शामिल नहीं होंगे।

धारा 2 (घ) दंड प्रक्रिया संहिता, भाषा की चौड़ाई में कटौती की जाएगी और धारा 32-ए (1) के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जाएगा क्योंकि निजी शिकायतों से उत्पन्न होने वाले सभी अभियोजन

बहिष्कृत किया जाता है। जाहिर है, धारा 32-ए (1) को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से निगम के दायित्व को शामिल किया गया है। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए सभी अपराधों के लिए देनदार। निस्संदेह, एक धारा 138 कार्यवाही को शामिल किया जाएगा, और स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एक नए प्रबंधन द्वारा एक समाधान योजना के साथ निर्णय लेने वाले द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्राधिकरण, निगमित देनदार के लिए एक अपराध होना बंद हो जाता है।

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

43. एक धारा जिसे एक संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है

अपराधों के लिए दायित्व समाप्त करने वाले पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक अधिनियम में

शुरू होने से पहले निगमित देनदार द्वारा प्रतिबद्ध

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का ऐसा नहीं हो सकता है

इस तरह से सीमित करने के लिए, एक साइडविंड द्वारा जैसा कि यह था,

धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान, जिसके साथ यह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। यदि धारा 32-ए (1) का पहला परंतुक

श्री मेहता द्वारा सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाता है, यह प्रभावित करेगा धारा 14 अपने केन अनुभागों 138/141 को हटाकर

कार्यवाही, जो धारा 32-ए (1) का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है।

इसलिए यह मानते हुए कि धारा 14 के बीच टकराव है।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करके हल किया गया ताकि दोनों प्रावधानों के उद्देश्यों को अधीन किया जा सके

प्रक्रिया, एक प्रावधान को नुकसान पहुँचाए बिना या सीमित किए बिना

दूसरे का खर्च। अगर, अभिव्यक्ति

" धारा 32-ए (1) के पहले परंतुक में अभियोजन का उल्लेख है -

ठीक से आपराधिक कार्यवाही-या तो के माध्यम से बुलाया जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत का माध्यम

जाँच प्राधिकरण या शिकायत और अर्ध-आपराधिक को नहीं

धारा 138/141 के तहत शुरू की गई कार्यवाहियां

निगमित देनदार के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम,

धारा 14 (1) आई. बी. सी. का उद्देश्य अधीन हो जाता है, जैसा कि उद्देश्य करता है।

धारा 32-ए, जो आपराधिक अभियोजन को समाप्त करती है

निगमित देनदार के खिलाफ सभी मामलों में, इस प्रकार दोषमुक्त

एक नए प्रबंधन के बाद उसी से कॉर्पोरेट देनदार अंदर आते हैं।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, मामले का केंद्र दूसरा परंतुक है जो इसके साथ जोड़ा गया है आई. बी. सी. के 32 ए (1) (बी) पर जो वैधानिक मान्यता प्रदान करता है उन व्यक्तियों का अप्रत्यक्ष दायित्व जो अन्यथा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं आर एन. आई. अधिनियम की धारा 141, धारा 138 अपराध के संदर्भ में।

46. इस प्रकार, धारा 32 ए मोटे तौर पर इस ओर ले जाती हैः

निगम के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन

ए।

ऋणी, यदि निगमित ऋणी का नियंत्रण में जाता है

नए प्रबंधन के हाथ जो इससे अलग हैं

मूल पुराना प्रबंधन।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी।

"प्रत्येक व्यक्ति जो एक था" के संबंध में अभियोजन " निर्दिष्ट भागीदार "जैसा कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित किया गया है, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित एक" अधिकारी जो चूक में है ", या किसी भी तरह से अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के प्रभारी या जिम्मेदार था या किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ था और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अपराध में शामिल था" आगे बढ़ाया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। पी. मोहनराज के पैरा 42 के अनुसार केवल निगमित देनदार (नए प्रबंधन के साथ)

उनकी रक्षा की जाएगी।

अगर पुराना प्रबंधन निगम को संभाल लेता है

सी।

ऋणी (एमएसएमई के लिए धारा 29 ए लागू नहीं होती है (240 ए देखें), इसलिए एमएसएमई के लिए पुराना प्रबंधन अधिग्रहण कर सकता है)

निगमित ऋणी स्वयं भी धारा 138 या किसी अन्य अपराध के तहत अभियोजन से सुरक्षित नहीं है।

47. इस प्रकार, मेरा विचार है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों के संचालन द्वारा, प्राकृतिक व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 200 के साथ पठित एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत समाप्त नहीं होगी।

48. जे. आई. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम अमरलाल वी. जुमानी

सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार उसके समक्ष कार्यवाही का निपटान करना। 49. यह सच है कि आई. बी. सी. की धारा 238 के आधार पर, सी. आर. पी. सी. के प्रावधान कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

इसके साथ उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी अजय कुमार राधेश्याम गोयनका v में निहित है।

निदेशक और अधिकारी। 50. यह भी उतना ही सच है कि एक बार जब कॉर्पोरेट देनदार समाधान प्रक्रिया के तहत आता है, तो उसके पूर्व प्रबंध निदेशक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 305 (2) में कहा गया है कि जहाँ

एक निगम अभियुक्त व्यक्ति या जांच या मुकदमे में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, यह जांच या मुकदमे के उद्देश्य के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुहर के तहत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह केवल समाधान पेशेवर ही कर सकते हैं

आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त कंपनी का प्रतिनिधित्व करें। कार्यवाही समाप्त होने के बाद, या तो निगमित इकाई इसे भंग किया जा सकता है या इसे एक नए प्रबंधन द्वारा लिया जा सकता है जिस स्थिति में कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। जब कोई नया प्रबंधन कार्यभार संभालेगा, तो उसे कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि समाधान प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कंपनी को भंग कर दिया जाता है, तो जाहिर है कि इसके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करना होगा। लेकिन फिर भी, इसके पूर्व निदेशक स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनीता हाडा (ऊपर) में यह न्यायालय, अनिल हाडा बनाम में अपने फैसले को पलटते हुए भी। इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड ने बताया

कंपनी को आरोपित किए बिना मुकदमा चलाया गया, यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि मामला एक अलग आधार पर खड़ा होगा जहां कुछ कानूनी बाधा है जैसा कि लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया के सिद्धांत को मिलता है। आकर्षित किया। यह विशेष रूप से देखा गया कि अनिल हाडा (ऊपर) में निर्णय को क्वालीफायर के साथ खारिज कर दिया गया है जैसा कि पैरा 51 में कहा गया है। उसी पर विचार करते हुए, अजीत बाल्से (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का अनुपात, जिस पर अपीलार्थी की ओर से मजबूत निर्भरता रखी गई है, कोई लाभ नहीं है।

51. उपरोक्त से जो सामने आता है वह यह है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत निगमित देनदार पर मुकदमा चलाने में कठिनाई के लिए

ऐसे विशिष्ट अनुरोध पर दायित्व से बचने के लिए व्यक्ति? ऐसी स्थिति में लैटिन उक्ति लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया आकर्षित है जिसका अर्थ है कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्रूम के "लीगल मैक्सिम्स" में समर्थन में कई सचित्र मामले हैं।

अधिकतम। इस उक्ति को इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। शमशेर सिंह ने 1985 में रिपोर्ट की

एससीसी 416।

52. इस प्रकार, जहां एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और विचाराधीनता के दौरान योजना को मंजूरी दी जाती है

या कंपनी भंग हो जाती है, निदेशक और अन्य आरोपी इसके विघटन का हवाला देकर अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं। जिसे भंग किया जाता है वह केवल कंपनी है, न कि आरोपी का व्यक्तिगत दंडात्मक दायित्व।

एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के तहत। अनीता हाड़ा (ऊपर) में निर्धारित कानून के मद्देनजर उन्हें अभियोजन का सामना करना जारी रखना होगा। जहां समाधान प्रक्रिया के अंत में भी कंपनी बनी रहती है, इसका एकमात्र परिणाम यह है कि पूर्व निदेशक अब नहीं रह सकते हैं। इसका प्रतिनिधित्व करें।

उलझन की स्थिति के बारे में कुछ जो हो सकता है

53. यदि यह तर्क कि हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक एन. आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, समाधान योजना को मंजूरी दे दी जाती है, जिससे निम्नलिखित बेतुकी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं:

यदि धारा 14 अधिस्थगन आदेश के जीवनकाल के दौरान,

आई.

कुछ अभियुक्त एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए गए हैं, समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद उन्हें अपील में रिहा करना होगा। इस प्रकार, अधिस्थगन के दौरान धारा 138 के तहत सह-अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्यवाही से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

यदि समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है और निगम

ii.

देनदार आई. बी. सी. की धारा 35 (1) (के) के तहत ऐसी परिस्थितियों में परिसमापन के तहत जाता है जिसमें परिसमापक निगमित देनदार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस प्रकार, धारा के तहत अभियोजन

138/141 जारी है। यह आई. बी. सी. के काम करने में बेतुकी स्थितियों और धारा 138 पर इसके प्रभाव का कारण बन सकता है। कार्यवाही।

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

परिसमापन के अंत में, वितरण होगा

iii.

बाध्यकारी और अनिवार्य। इसके बाद, परिसमापन के तहत परिसंपत्तियों को बेचने के बाद निगमित देनदार को आई. बी. सी. की धारा 54 के तहत भंग कर दिया जाता है। अब उक्त अवधि के दौरान, अभियोजन पूरा हो गया होगा और अपील लंबित होगी। तब यह तर्क दिया जाएगा कि क्योंकि परिसमापन राशि स्वीकार की जाती है, हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक के खिलाफ अभियोजन कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के बाद जारी नहीं रह सकता है।

54. इस प्रकार, आई. बी. सी. के उत्तर की धारा 14,31 और 32 ए बनाम एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और 141 की व्याख्या करते हुए, सिद्धांत

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का उपयोग और पालन किया जाना चाहिए। के द्वारा योजना की मंजूरी के बाद भी हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देना, जो हासिल किया जाता है वह विसंगत और बेतुकी स्थितियों को दूर करके कानून के कामकाज में एकरूपता है, जिससे यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप हो जाता है। ने कहा कि

55. एक सख्त निर्माण और एक अधिक स्वतंत्र निर्माण के बीच का अंतर आधुनिक समय में गायब हो गया है और अब ज्यादातर सवाल यह है कि "क़ानून का सही निर्माण क्या है?" क्रेज़ ऑन में एक मार्ग मूर्ति कानून 7 वीं संस्करण। निम्नलिखित प्रभाव को पढ़ता है:

" एक सख्त और एक उदार निर्माण के बीच अंतर

विधियों के सभी वर्गों के संबंध में लगभग गायब हो गया है, ताकि सभी कानूनों, चाहे वे दंडात्मक हों या नहीं, का अब अर्थ लगाया जाए

काफी हद तक एक ही नियमों द्वारा। ' सभी आधुनिक अधिनियम बनाए गए हैं।

न्यायसंगत और साथ ही कानूनी सिद्धांतों के संबंध में। " ए. सौ साल पहले ", अदालत ने ल्योंस के मामले में कहा,

पूरी तरह से सटीक होने की आवश्यकता थी और रिसॉर्ट नहीं था

अधिनियम के उचित निर्माण के लिए, और इस प्रकार अपराधी

अक्सर उन्हें भागने दिया जाता था। यह वर्तमान तरीका नहीं है

संसद के अधिनियमों का निर्माण। वे अब के साथ माने जाते हैं

के वास्तविक अर्थ और वास्तविक इरादे का संदर्भ

विधायि

का। "[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

56. इसी पुस्तक के पृष्ठ-532 पर सेडगविक की टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

" इस सिद्धांत का अधिक सही संस्करण यह प्रतीत होता है कि इस वर्ग के कानूनों का उचित रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए।

बिना विधायिका के इरादे के अनुसार लागू किया गया

एक ओर अनुचित गंभीरता या दूसरी ओर अनुचित नरमी, संदेह के मामलों में अदालतें दया की ओर झुकती हैं।

तर्क दें कि ऋण भंडार के रूप में

संहिता की धारा 31 के परिणामस्वरूप, आपराधिक प्रक्रियाएं यू/एस। 138 एन. आई. अधिनियम निदेशक के अनुसार जारी नहीं रह सकता है /

संकेत। 57. यह तर्क कि आई. बी. सी. की धारा 31 के आधार पर ऋण समाप्त हो गया था, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही

निदेशक/हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में जारी नहीं रह सकता है, इस न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के विपरीत चलेगा कि प्रमुख देनदार का "अनैच्छिक अधिनियम" गारंटरों को दोषमुक्त नहीं करेगा।

58. ललित कुमार जैन बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ और अन्य ने (2021) 9 एस. सी. सी. 321 में बताया है कि समाधान योजना की मंजूरी प्रति गारंटर के दायित्व के निर्वहन के रूप में काम नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि:

प्रमुख देनदार का एक अनैच्छिक कार्य जिससे नुकसान होता है

2 .

प्रतिभूति, किसी गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

एक निर्वहन जिसे प्रमुख देनदार सुरक्षित कर सकता है

बी।

दिवालियापन में कानून का संचालन (या किसी कंपनी के मामले में परिसमापन कार्यवाही में)

उसके दायित्व के मुचलके से मुक्त कर दें।

59. यही सिद्धांत धारा 138/141 कार्यवाही के मामले में हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक पर लागू होता है। हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक आई. बी. सी. के तहत कानून के संचालन द्वारा निगमित देनदार द्वारा प्राप्त निर्वहन का लाभ नहीं ले सकता है।

60. यदि यह तर्क कि आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत ऋण के उन्मूलन से धारा के तहत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक का निर्वहन होता है

138 कार्यवाहियों को स्वीकार कर लिया जाता है, उसी से कानून में टकराव पैदा होगा जैसा कि निर्धारित किया गया है

गारंटर के दायित्व की तुलना में, जिसमें योजना को मंजूरी दिए जाने के बावजूद, गारंटर को शेष अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम के लिए अलग से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

राशि। यदि गारंटर को आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत ऋण मिटाने का लाभ नहीं मिलता है, तो इसी तरह

ऋण, हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यदि स्वीकार किया जाता है, तो इससे कानून के पहले सिद्धांतों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

ऋण के उन्मूलन की व्याख्या। ललित कुमार जैन (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 122. इसलिए, यह स्पष्ट है कि समाधान योजना की मंजूरी और धारा 31 द्वारा इसे दी गई अंतिमता स्वयं गारंटर के दायित्व के निर्वहन के रूप में कार्य नहीं करती है। के बारे में

दायित्व की प्रकृति और विस्तार, बहुत कुछ गारंटी की शर्तों पर ही निर्भर करेगा। हालांकि, इस अदालत ने

बार-बार संकेत दिया कि प्रमुख देनदार का अनैच्छिक कार्य जिससे प्रतिभूति का नुकसान होता है, किसी गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र एस. ई. बी. में [महाराष्ट्र एस. ई. बी. बनाम। आधिकारिक परिसमापक, (1982) 3 एस. सी. सी. 358] गारंटर के दायित्व (ऐसे मामले में जहां प्रमुख देनदार के दायित्व को दिवाला कानून या कंपनी कानून के तहत निर्वहन किया गया था) पर विचार किया गया था। यह माना गया कि

असंदिग्ध गारंटी, गारंटर का ऐसा दायित्व

जारी है और लेनदार अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 की भाषा को देखते हुए गारंटर से इसका एहसास कर सकता है क्योंकि उस अधिनियम की धारा 134 के तहत कोई निर्वहन नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी।

362-63 , पैरा 7)

" 7. विचाराधीन बैंक गारंटी के तहत बैंक ने बिजली बोर्ड को किसी भी राशि का भुगतान करने का बीड़ा उठाया है।

50, 000 रुपये और इसे साकार करने के लिए बिजली बोर्ड को बस एक मांग करनी है। ऐसी मांग के अड़तालीस घंटे के भीतर बैंक को बिजली बोर्ड को राशि का भुगतान करना पड़ता है जो मांग की गई राशि के भुगतान से पहले परिसमापन में कंपनी की ओर से किसी भी चूक को साबित करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं है। बैंक यह दलील नहीं दे सकता है कि वह केवल बिजली बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की सीमा तक उत्तरदायी है।

माल के आपूर्तिकर्ता यानी परिसमापन में कंपनी की ओर से किसी भी चूक के लिए। दायित्व पूर्ण है और
बिना शर्त। तथ्य यह है कि परिसमापन में कंपनी यानी प्रमुख देनदार भी परिसमापन में चला गया है

बैंक की देनदारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गारंटर। अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 के तहत,

प्रतिभूति का दायित्व प्रतिभूति के दायित्व के साथ सह-व्यापक है।

प्रमुख देनदार जब तक कि यह अन्यथा द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है

अनुबंध। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा के तहत जमानत दी जाती है।

134 के बीच किसी भी अनुबंध द्वारा अनुबंध अधिनियम, 1872

लेनदार और प्रमुख देनदार जिसके द्वारा मूलधन देनदार को रिहा किया जाता है या लेनदार के किसी कार्य या चूक से,

जिसका कानूनी परिणाम निर्वहन है

प्रमुख देनदार। लेकिन एक निर्वहन जो प्रमुख देनदार

दिवालियापन में कानून के संचालन द्वारा सुरक्षित हो सकता है (या

कंपनी के मामले में परिसमापन कार्यवाही) करता है

अपने दायित्व के प्रतिभू को दोषमुक्त न करें (जगन्नाथ को देखें)

गणेश्राम अग्रवाल बनाम। शिवनारायण भागीरथ [1939 एस. सी. सी.

ऑनलाइन बॉम 65: ए. आई. आर. 1940 बॉम 247]; फिट्जगॉर्ज को भी देखें,

री में [फिट्जगॉर्ज, इन री, (1905) 1 KB 462] ")। "

(जोर दिया गया)

सूची अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा नहीं दे सकती

गलत (नलस कमोडम केप पोस्ट डी इंजुरिया सू प्रोप्रिया)

61. यह न्यायालय धारा 32 ए, आईबीसी की वैधता को बरकरार रखते हुए

(मनीष कुमार के मामले में) कहा गया है कि "प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। " यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे उस तर्क को स्वीकार करके पराजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक को अपनी गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

62. गोवा राज्य सहकारी बैंक नामक एक दिलचस्प मामले में

सीमित वी। कृष्ण नाथ ए. और अन्य ने (2019) 20 एस. सी. सी. 38 में बताया कि तथ्य यह थे कि परिसमापन कार्यवाही को एक निश्चित संख्या में वर्षों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता थी, लेकिन वे विफल रहे। इसके बाद उधारकर्ताओं ने वसूली मुकदमे में दावा किया कि अब कोई वसूली नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूककर्ता अपनी कार्रवाई का लाभ नहीं उठा सकते। मनमाने तरीके से ऋण का वितरण और वसूली में विफलता ही वह आधार था जिसके आधार पर सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया था। मैं प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत करता हूं:

" 21. यह स्पष्ट है कि परिसमापन की समाप्ति पर

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वे समाप्त नहीं होते हैं। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार समापन अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उनके द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए सदस्यों का दायित्व जो उनके हाथों में है, और जिसके लिए वसूली की कार्यवाही लंबित है, समाप्त हो जाएगी। सदस्यों के खिलाफ वसूली कार्यवाही को स्वचालित रूप से समाप्त करने पर विचार नहीं किया गया है। दूसरी ओर, सोसायटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने पर, सदस्यों के हिस्से या ब्याज सहित अपनी देनदारियों का भुगतान करने के बाद परिसमापन में सोसाइटी के खाते में जमा राशि के बारे में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार, परिसमापन के मामले में भी अधिशेष के प्रति जवाबदेही बनी रहती है और देनदारियां समाप्त नहीं होती हैं। भले ही सोसायटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो, लेकिन इससे वसूली की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है जो शुरू की गई है और अपीलें लंबित हैं।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

24. पुनर्स्थापन की अवधारणा एक सामान्य कानून सिद्धांत है और यह अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय है। न्यायालय का उपयोग किसी वादी द्वारा अवैधता को कायम रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कानून के दाहिने तरफ है, उसे चाहिए

यह महसूस न करें कि यदि उसे मुकदमेबाजी में घसीटा जाता है, और जीत जाता है, तो वह 20 या 30 वर्षों के बाद एक वास्तविक लाभकर्ता के रूप में एक हारे हुए और गलत व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार, जिन सदस्यों ने अपील में या वसूली की कार्यवाही पर रोक प्राप्त कर ली है या मामला लंबित है, वे इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि अधिनियम के तहत परिसमापक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है।

25. एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, पंजीयक को रिपोर्ट के संदर्भ में कार्रवाई करनी होती है और ऐसी परिस्थितियों में जब सदस्यों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही लंबित होती है और सोसायटी ने अपने सदस्य के लिए बैंकों से ऋण लिया होता है, तो वास्तविक धन लेनदार यानी उस बैंक को जाना पड़ता है जो सदस्यों के हाथों में सार्वजनिक धन की वसूली से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे मामलों में यह होगा

पंजीयक के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को कार्यवाही की सूचना भेजना उचित है जिसे वसूली से लाभ होना है। तत्काल मामले में, बैंक अपने आप में एक प्रमुख ऋणदाता-सह-परिसमापक है। कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार, हमारे माना जाता है कि यह बैंक के लिए [2023] 4 एस. सी. आर. के साथ जारी रखने के लिए खुला है।

वसूली की कार्यवाही और उससे वसूली करना

चूक सदस्य। केवल सोसायटी के परिसमापन पर,

या यह तथ्य कि परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है,

ऋण के लिए सदस्यों के दायित्व को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि

मिटा दिया गया। मनमाने ढंग से ऋण का वितरण

ठीक होने का तरीका और विफलता इसका बहुत बड़ा आधार था

जिसके आधार पर सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया था।

(जोर दिया गया)

समाधान योजना की शर्तें नहीं हो सकतीं

स्थापना/नियमों को लागू करें

63. इससे पहले कि मैं उपरोक्त पर टिप्पणी करूं, यह आवश्यक है।

के समाधान योजना के प्रासंगिक खंडों में शामिल है जिस पर मजबूत

सी. ई. को अपीलार्थी की ओर से रखने की मांग की जाती है। प्रासंगिक

इसे इस प्रकार पढ़िए:

" भाग के: दावों/अधिकारों का उन्मूलन

1. इस संकल्प के तहत विशेष रूप से निपटाए गए प्रावधानों को छोड़कर बचाएँ

योजना, कोई अन्य भुगतान या निपटान (किसी भी प्रकार का) नहीं होगा

के अधीन दायर किए गए दावों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को किया गया

सी. आई. आर. पी. (संदेह से बचने के लिए, किसी भी असत्यापित सहित)

उनके दावे का हिस्सा) और निगम के खिलाफ सभी दावे

देनदार सहित किसी भी संबंधित कानूनी कार्यवाही के साथ आपराधिक कार्यवाही और अन्य दंडात्मक कार्यवाही,

नियत तिथि से प्रभाव। 2. इस संकल्प में विचार किए गए व्यक्तियों को भुगतान

योजना निगमित ऋणदाता और समाधान होगी।

आवेदक का पूर्ण और अंतिम प्रदर्शन और सभी की संतुष्टि

ऐसे व्यक्तियों के प्रति इसके दायित्व और सभी दावे (जिनके लिए

संदेह से बचना, उनके दावों का कोई असत्यापित हिस्सा)

निगमित देनदार के खिलाफ ऐसे व्यक्तियों का विरोध कायम रहेगा।

अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त बसाया और बुझा दिया गया

प्रभावी तिथि पर और से प्रभाव के साथ शाश्वतता नियुक्त तिथि।

3. ..... तदनुसार, समाधान आवेदक और निगमित

अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम के संबंध में देनदार की कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा।

पर्यटन

वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

निगमित देनदार के खिलाफ कोई दावा जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

किसी भी भुगतान के अलावा प्रभावी तिथि से पहले की अवधि

इस समाधान योजना और सभी दावों के तहत किया जाना चाहिए

आपराधिक कार्यवाही सहित कोई भी संबंधित कानूनी कार्यवाही और अन्य दंडात्मक कार्यवाहियां अपरिवर्तनीय रूप से खड़ी होंगी और

बिना शर्त कम किया गया, बसाया गया और हमेशा के लिए बुझा दिया गया।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

6. प्रभावी तिथि पर और नियुक्त किए गए व्यक्ति से प्रभावी

दिनांक, द्वारा जारी किए गए सभी बकाया परक्राम्य लिखत

निदेशक/प्रवर्तक या निगमित देनदार या किसी भी व्यक्ति द्वारा निगमित ऋणदाता की ओर से निगमित के किसी भी बकाया के लिए

ऋणदाता जिसमें मांग वचन पत्र, दिनांक के बाद के नोट शामिल हैं

चेक और क्रेडिट पत्र समाप्त हो जाएंगे और

ऐसे साधनों के तहत निगमित देनदार की देनदारी बनी रहेगी।

बुझा दिया "।

(जोर दिया गया)

64. मैंने आईबीसी और एबिक्स सिंगापुर की धारा 31 का उल्लेख किया है।

उपरा) यह समझाने के लिए कि समाधान योजना उन लेनदारों पर बाध्यकारी है जो

इसके लिए सहमति नहीं दी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जो इंगित करता है कि धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता अनुमोदित समाधान योजना से बाध्य है, भले ही उसने इसके लिए सहमति नहीं दी हो (यदि वह सी. ओ. सी. का हिस्सा है) या इसे पसंद करता है। यदि वह सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं है, तो यह भी उस पर बाध्यकारी है।

65. आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (ई) में संकल्प की आवश्यकता है

समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए पेशेवर, केवल तभी जब यह उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार, समाधान योजना के खंड लागू अधिनियम/नियमों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह समाधान योजना है जिसे लागू कानूनों का पालन करना होता है। हाथ में मामले में, धारा 138 एन. आई. अधिनियम की कार्यवाही के तहत कॉर्पोरेट देनदार को कोई प्रभाव देने वाले किसी भी खंड का उपयोग धारा 138/141 एन. आई. के तहत हस्ताक्षरकर्ताओं/निदेशकों की सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है।

एक्ट करें।

66. आई. बी. सी. की धारा 61 (3) (आई) के खिलाफ अपील का प्रावधान है

समाधान योजना को मंजूरी देने का आदेश यदि यह कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

" 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण।

XXX

XXX

(3) समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील

धारा 31 के तहत निम्नलिखित आधारों पर दायर किया जा सकता है:

अर्थात्:

((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

67. शिकायतकर्ता-धारा 138 एन. आई. अधिनियम की कार्यवाही के लेनदार की प्रस्ताव के अनुमोदन में कोई भूमिका हो भी सकती है और नहीं भी। योजना और धारा 138 के अधिकांश लेनदार बड़े वित्तीय लेनदारों के विपरीत छोटे खिलाड़ी हो सकते हैं।

68. समाधान योजना की शर्तें अधिनियम यानी आई. बी. सी. या किसी अन्य पूर्ण कानून या नियमों के विपरीत नहीं चल सकती हैं।

69. इस प्रकार, समाधान योजना के उक्त खंडों की कानून के साफ-सुथरे प्रश्न का उत्तर देने में कोई भूमिका नहीं है, जो इस पर निर्भर है

आई. बी. सी. और एन. आई. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या।

70. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देने की भी मांग की गई कि ऊपर निर्दिष्ट समाधान योजना के खंडों का सादा अध्ययन, यह इंगित करेगा कि प्रतिवादी (शिकायतकर्ता) के बारे में कहा जा सकता है कि उसने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध को बढ़ा दिया है।

71. ' यौगिक 'और' रद्द करना 'समानार्थी शब्द नहीं हैं। कानून में, उनके अलग-अलग अर्थ और परिणाम हैं। वे उत्पन्न होते हैं विभिन्न स्थितियों और विभिन्न क्षेत्रों और चरणों में काम करते हैं। इस हद तक कोई स्पष्ट कानूनी परस्पर निर्भरता या परस्पर संबंध नहीं है कि एक

इसका अस्तित्व केवल तभी हो सकता है जब दूसरे की शर्तें पूरी हों या इसके विपरीत। रद्द करना अंतर्निहित शक्तियों के पहलुओं में से एक है, जबकि किसी अपराध का चक्रवृद्धि धारा 320 के तहत निहित एक वैधानिक अभिव्यक्ति होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता पूरी तरह से एक अलग अवधारणा है।

72. अभिव्यक्ति 'समझौता' और 'संयोजन' आपराधिक न्यायशास्त्र में पर्यायवाची नहीं हैं, भले ही ये अभिव्यक्तियाँ हैं

आमतौर पर बिना किसी भेद के उपयोग किया जाता है। यदि शर्तें अवैध नहीं हैं तो पक्षों के बीच किसी भी विवाद से समझौता किया जा सकता है। लेकिन केवल कानून द्वारा अनुमत एक शमनीय अपराध को ही बढ़ाया जा सकता है। एक से संबंधित विवाद

मामला दर्ज होने से पहले ही अपराध से समझौता किया जा सकता है और उस मामले में, अपराध का शिकार व्यक्ति शिकायत दर्ज करने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर समझौते के बावजूद, वह एक शिकायत दर्ज

करता है और अदालत को पता चलता है कि जो समझौता किया गया है वह एक शमनीय अपराध है, जो तथ्यों और अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम पर निर्भर करता है।

पर्यटन वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इनकार कर सकते हैं, या आरोपी को बरी कर सकते हैं क्योंकि अपराध चक्रवृद्धि था या शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में रद्द किया जा सकता है। 73. एक समझौते में, देने और लेने के लिए पक्षों के बीच सहमति अधिक महत्वपूर्ण है और एक चक्रवृद्धि में, पीड़ित का निर्णय

मुकदमा न चलाने और मुकदमा जारी न रखने का अपराध अधिक महत्वपूर्ण है।

74. मेरा विचार है कि ऊपर उल्लिखित समाधान योजना में निहित खंड केवल निगम के दायित्व को समाप्त करते हैं।

ऋणी और प्राकृतिक व्यक्ति नहीं।

75. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अनुसार, जब चेक का अनादर किया गया था और चेक राशि की मांग करने वाला एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया था, तो आरोपी उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करेगा। जिस क्षण उक्त 15 दिन समाप्त हो जाते हैं, कार्रवाई का कारण सामने आता है। दूसरे शब्दों में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध पूर्ण है। एक बार जब किए गए अपराध के लिए कार्रवाई का कारण सामने आता है, तो शिकायतकर्ता को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक महीने के भीतर आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, शिकायतकर्ता कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की वसूली के लिए आपराधिक अदालत का रुख नहीं करता है, बल्कि वैधानिक सूचना की प्राप्ति के बावजूद चेक राशि का भुगतान नहीं करके आरोपी द्वारा पहले से किए गए अपराध के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए करता है। आपराधिक अदालत के समक्ष एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए चेक का अपमान किया गया था और मांग नोटिस की सेवा के बावजूद, क्या उसने राशि का भुगतान नहीं किया था। आई. बी. सी. और एन. आई. अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने के लिए आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं है।

इस विषय पर कुछ प्रासंगिक निर्णय

76. भारतीय स्टेट बैंक बनाम। वी. रामकृष्णन और एक अन्य ने (2018) 17 एस. सी. सी. 394 में प्रतिवेदन दिया, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 31. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त दिवाला विधि समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26-3-2018 द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं।

32. समिति जहां तक धारा के तहत स्थगन का संबंध है

14 चिंतित है, यह पता लगाने के लिए चला गयाः .....

" 5.11 . इसके अलावा, कॉरपोरेट्स के ऋणों के लिए कई गारंटी

इसके प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी के रूप में दिए जाते हैं,

यदि सी. आई. आर. पी. के दौरान उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक है,

ऐसे प्रवर्तक (जो निगमित आवेदक भी हैं) केवल ठहराव का लाभ उठाने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए तुच्छ आवेदन दायर कर सकते हैं। इसमें विश्लेषण किए गए निर्णयों में

संबंध में, कई कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा दायर किए गए हैं संहिता की धारा 10 के तहत और यह पुष्टि कर सकता है

अधिस्थगन प्रावधान के दुरुपयोग की आशंका से ऊपर।

निगमित देनदार और एक स्पष्टीकरण की सिफारिश की स्पष्ट कीजिए कि इसे संहिता की धारा 14 में जोड़ा जा सकता है। द.

अधिस्थगन का दायरा केवल निगमित देनदार की परिसंपत्तियों तक ही सीमित हो सकता है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

25. अधिनियम की धारा 31 पर भी दृढ़ता से भरोसा किया गया था

उत्तरदाताओं। इस खंड में केवल यह कहा गया है कि एक बार संकल्प

योजना, जैसा कि लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित है, प्रभावी होती है, यह कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ बाध्यकारी होगी

गारंटर। यही कारण है कि अन्यथा, धारा के तहत

133 अनुबंध अधिनियम, 1872, ऋण में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रतिभूति की सहमति के बिना, निगमित देनदार द्वारा देय,

गारंटर को भुगतान से राहत मिलेगी। धारा 31 (1) में

तथ्य, यह स्पष्ट करता है कि गारंटर भुगतान से बच नहीं सकता है

समाधान योजना के रूप में, जिसे मंजूरी दी गई है, अच्छी तरह से हो सकता है

इनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान के बारे में प्रावधान शामिल हैं

गारंटर। शायद यही कारण है कि नियम और विनियम 36 (2) में निर्दिष्ट प्रपत्र 6 का अनुलग्नक 6 (ई)

ऊपर, निगमित देनदार के ऋणों के संबंध में दी गई व्यक्तिगत गारंटी के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओं के रुख का समर्थन करने के बजाय, यह है

स्पष्ट करें कि वास्तव में, धारा 31 एक और कारक है

देय ऋणों का भुगतान करने के लिए एक व्यक्तिगत गारंटर का पक्ष

बिना किसी रोक के उसे बचाने के लिए आवेदन करना।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

26.1 . धारा 14 केवल निगमित देनदारियों द्वारा देय ऋणों को संदर्भित करती है, जो सीमित देयता कंपनियाँ हैं, और यह स्पष्ट है कि जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अधिकांश मामलों में, व्यक्तिगत गारंटी द्वारा दी जाती है

निदेशक जो कंपनियों के प्रबंधन में हैं। वस्तु।

संहिता का उद्देश्य ऐसे गारंटरों को बचने की अनुमति नहीं देना है

पूरा भुगतान करने के लिए स्वतंत्र और सह-व्यापक दायित्व बकाया ऋण, जिसके कारण धारा 14 लागू नहीं होती है

उन्हें। .....

(जोर दिया गया)

77. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम।

एच कुमार गुप्ता और अन्य ने (2020) 8 एस. सी. सी. 531 में रिपोर्ट किया, इस टी ने माना किः

" 106. वी. रामकृष्णन मामले (2018) में इस फैसले के बाद

17 एस. सी. सी. 394, श्री रोहतगी के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

अधीनता के कारण गारंटर का होगा बुझा दिया गया, प्रस्तुत की गई गारंटी पर लागू नहीं किया जा सकता है

निगमित देनदार के पूर्व निदेशकों द्वारा। जहाँ तक

वर्तमान मामले का संबंध है, हम यह जोड़ने के लिए जल्दी करते हैं कि हम हैं

ऐसा कुछ नहीं कहना जो लंबित मुकदमेबाजी को प्रभावित कर सके

इन गारंटियों का आह्वान करना। हालांकि, एनसीएलएटी

निर्णय संहिता की धारा 31 (1) के विपरीत होना और

वी. रामकृष्णन मामले (2018) में इस अदालत का फैसला 17 एससीसी

394 , अलग कर दिया जाता है "।

(जोर दिया गया)

78. विजय कुमार जैन बनाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बताया

019) 20 एस. सी. सी. 455, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

“ 19.3 ..... हम पाते हैं कि संहिता की धारा 31 (1) ऐसा करेगी।

स्पष्ट करें कि पूर्ववर्ती निदेशक मंडल के ऐसे सदस्य, जो अक्सर गारंटर होते हैं, वे एक संकल्प में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखते हैं

इस तरह की समाधान योजना के रूप में योजना उन्हें बांधती है। ऐसी हो सकती है योजना

प्रमुख देनदार के ऋण को कम करना, जिसके परिणामस्वरूप स्केलिंग होती है

गारंटर के ऋण को भी कम करें, या यह नहीं भी हो सकता है। द. समाधान योजना कुछ ऋणों को भी कम कर सकती है और नहीं

अन्य, बाद के प्रकार के ऋणों के गारंटरों को उजागर करते हुए

ऋण की पूरी राशि के लिए।

19.4 . नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये व्यक्ति

समाधान योजनाओं में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि वे उन्हें प्रभावित करते हैं।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

79. ललित कुमार जैन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 122. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक प्रस्ताव की मंजूरी

धारा 31 द्वारा दी गई योजना और अंतिमता अपने आप में नहीं है।

गारंटर के दायित्व के निर्वहन के रूप में कार्य करें। के बारे में

दायित्व की प्रकृति और विस्तार, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा स्वयं गारंटी की शर्तें। हालांकि, इस अदालत ने

बार-बार संकेत दिया कि एक अनैच्छिक कार्य

प्रतिभूति के नुकसान की ओर ले जाने वाला प्रमुख देनदार, दोषमुक्त नहीं होगा

अपने दायित्व का गारंटर।

(जोर दिया गया)

80. जे. आई. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम अमरलाल वी. जुमानी

(2012) 3 एस. सी. सी. 255 में एक अन्य रिपोर्ट, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 19. अधिकांश मामलों में तत्काल अपील में अपराध

एन. आई. अधिनियम के तहत योजना से पहले प्रतिबद्ध किया गया है। अतः वह अपराध जो पहले ही किया जा चुका है।

उक्त योजना के परिणामस्वरूप। इसलिए, यहां तक कि पर भरोसा करके जे. के. (बॉम्बे) (पी) में उपरोक्त निर्णय का अनुपात

लिमिटेड [जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। न्यू कैसर-आई-हिंद एस. पी. जी. और

डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1041], यह न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकता है।

कंपनी अधिनियम का प्रभाव स्वतः ही होगा एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध को बढ़ाना।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

27. अपराध का चक्रवृद्धि हमेशा नियंत्रित किया जाता है

वैधानिक प्रावधान। इसमें कई विशेषताएँ हैं

एक अपराध और उन विशेषताओं का संयोजन होना चाहिए

इससे पहले कि अपराधी द्वारा यह दावा किया जा सके कि

अपराध बढ़ गया है। इस प्रकार, एक का संयोजन अपराध को अप्रत्यक्ष रूप से एक की मंजूरी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है

कंपनी न्यायालय द्वारा योजना।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

70. तत्काल मामले में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की गई है।

एक के संयोजन से संबंधित एन. आई. अधिनियम के तहत निर्धारित

अपराध। संबंधित विशेष प्रक्रिया के अभाव में

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम के तहत चक्रवृद्धि से संबंधित प्रक्रिया।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

धारा 320 स्वतः स्पष्ट रूप से लागू होगी।

संहिता की धारा 4 की उप-धारा (2) का आदेश।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

83. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय स्वीकार करने में असमर्थ है

अपीलार्थी (ओं) के लिए विद्वान वकील की दलीलें

कि धारा 391 के तहत एक योजना की मंजूरी के परिणामस्वरूप

कंपनी अधिनियम वहाँ एक स्वचालित चक्रवृद्धि है

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध, इसके बिना भी शिकायतकर्ता की सहमति।

(जोर दिया गया)

81. इन्दोरमा सिंथेटिक्स (1) लिमिटेड, नागपुर बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्य ने 2016 में एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 2611 में बताया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्यालोकपाल अधिनियम, 1956 की धारा 446 (1) में उल्लिखित "वाद या अन्य कार्यवाही" में एन. आई. अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक कार्यवाही शामिल होगी। यह माना गया था किः

" 17. इस प्रकार, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य,

अनुमान लगाया जा सकता है, वाणिज्यिक की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए है लेन-देन और प्रदान करके चेक के उछाल को रोकने के लिए

चेक खींचने वाले के खिलाफ एक व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व

जनहित में। इसके विरुद्ध कोई नागरिक दायित्व या कोई दायित्व नहीं

चेक खींचने वाले की परिसंपत्तियों पर विचार किया जाता है

एन. आई. अधिनियम की धारा 138। अतः, यह इस प्रकार है कि प्रावधान

कंपनी अधिनियम की धारा 446 (1) स्पष्ट रूप से हो सकती है

और संक्षेप में धारा के तहत कार्यवाही के लिए कोई आवेदन नहीं

138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, क्योंकि यह एक मुकदमा नहीं है या

के लिए कार्यवाही पर सीधा असर डालने वाली कार्यवाही

परिसमापन या कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

XXX

XXX

XXX

24. इस प्रकार, इन सभी न्यायिक निर्णयों का योग और सार

यह है कि कंपनी अधिनियम की धारा 446 (1) के प्रावधान इसे विवेकपूर्ण तरीके से तभी लागू किया जाना चाहिए जब इसे कोई चिंता हो।

या तो समापन कार्यवाही के साथ या की परिसंपत्तियों के साथ कंपनी ने। अभिव्यक्ति "वाद या अन्य कार्यवाही",

इसे तदनुसार समझा जाना चाहिए और इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए उदारतापूर्वक और व्यापक रूप से ताकि प्रत्येक [2023] 4 एस. सी. आर. को शामिल किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के खिलाफ शुरू की गई किसी भी प्रकृति की कार्यवाही

कंपनी, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है जैसे कि

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध, जिसे नहीं मिला है कंपनी के समापन की कार्यवाही पर असर डालना और

सीधे तौर पर परिसंपत्तियों से संबंधित नहीं हैं कंपनी, लेकिन मुख्य रूप से दंडात्मक और व्यक्तिगत मामलों से निपट रही है

कंपनी के निदेशकों का दायित्व।

25. मामले में शामिल संघर्ष पर भी गौर किया जा सकता है

एक अन्य पहलू से कि क्या धारा के प्रावधान

138 एन. आई. अधिनियम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड कर सकता है,

क्योंकि यह परक्राम्य में शामिल एक बहुत ही विशेष प्रावधान है उपकरण अधिनियम, हालांकि कंपनी अधिनियम में कुछ शामिल हैं

के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान

परिसमापन के तहत कंपनी? '

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

28. यदि कोई एन. आई. की धारा 138 के प्रावधानों पर विचार करता है।

अधिनियम, जो बाद में संशोधन के माध्यम से पेश किया जाता है

यह अनिवार्य रूप से सामान्य क़ानून के प्रावधानों को ओवरराइड करेगा, जैसे, कंपनी अधिनियम।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

30. इस प्रकार, स्थिति बनाने में निर्णयों की एक लंबी कतार होती है

स्पष्ट करें कि अभिव्यक्ति 'वाद या कानूनी कार्यवाही', में उपयोग की जाती है

कंपनी अधिनियम की धारा 446 (1) का अर्थ केवल वही हो सकता है जो

ऐसी कार्यवाहियाँ जिनका परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है

बंद होने वाली या मुद्दे से कुछ संबंध रखने वाली कंपनियाँ समापन में-ऊपर। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक नागरिक

कार्यवाही, जिसका समापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कार्यवाहियाँ, या आपराधिक अपराध जहाँ निदेशक

कंपनी वर्तमान में दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

(जोर दिया गया)

82. मनीष कुमार (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने धारा 32 ए को बरकरार रखा।

बी. सी. और इस प्रकार कहाः

" 318. उप-धारा (1) में पहला परंतुक घोषित करता है कि यदि

धारा 31 के तहत एक समाधान योजना का अनुमोदन है और

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम के खिलाफ सी. आई. आर. पी. के दौरान अभियोजन शुरू किया गया है।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

निगमित देनदार, निगमित देनदार को छुट्टी दे दी जाएगी। हालाँकि, यह इस शर्त के अधीन है कि उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ, जो हमारे द्वारा विस्तृत की गई हैं, पूरी हो गई हैं। दूसरे शब्दों में, यदि अनुमोदित संकल्प के तहत

योजना, निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होता है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो प्रवर्तक नहीं है, या निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में, या निगमित देनदार के संबंधित पक्ष, या वह व्यक्ति जो

निगमित देनदार का नियंत्रण या प्रबंधन प्राप्त करता है, न तो सहायता करता है और न ही कमीशन में साजिश करता है

अपराध, तो, अभियोजन, यदि यह के बाद स्थापित किया जाता है सी. आई. आर. पी. की शुरुआत और इसकी विचाराधीनता के दौरान, निगमित देनदार के खिलाफ आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरे के तहत

व्यवसाय, निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने और दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी रहेगा। यह उप-धारा (1) के तहत निगमित देनदार के आपराधिक दायित्व के समाप्त होने के बावजूद है। और भी आगे, हर व्यक्ति, जो किसी भी तरह से निगमित देनदार के साथ जुड़ा हुआ था, और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था

जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और दायर रिपोर्ट के संदर्भ में इस तरह के अपराध का करना, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

319. इस प्रकार, उप-धारा (1) के विभिन्न अंगों के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि एक ओर जहां निगमित ऋणी सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए दायित्व से मुक्त है, वहीं निगमित ऋणी द्वारा अपराध किए जाने के परिणामों से वैधानिक प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है और -

आपराधिक दायित्व उन व्यक्तियों को परेशान करता रहेगा, जो थे

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के प्रभारी, या जो इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे या जो किसी भी तरह से निगमित देनदार के साथ जुड़े थे, और जो [2023] 4 एस. सी. आर.

अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, और वे उत्तरदायी बने रहेंगे।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

326. हमारा स्पष्ट मत है कि धारा 32-ए को अमान्य करने का कोई भी मामला नहीं बनाया गया है। इस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाएँ स्पष्ट हैं। का ज्ञान

कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। संहिता के उद्देश्य, संहिता के काम करने के अनुभव, अधिकांश हितधारकों सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए

महत्वपूर्ण रूप से समाधान आवेदकों को आकर्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो समाधान योजना के हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करने से नहीं कतराते हैं यदि विधायिका सोचती है कि कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ उसकी संपत्ति को भी छूट दी जानी चाहिए, तो यह शायद ही इस न्यायालय के लिए कोई आधार प्रदान करता है। प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। वे उत्तरदायी बने रहते हैं। कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व को समाप्त करना नए प्रबंधन के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है ताकि अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बनाया जा सके और एक साफ स्लेट पर शुरू किया जा सके। हमें इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। सम्मान अदालतें न्यायसंगत रूप से मानती हैं कि ऐसे कानून तत्काल मामले में भी लागू हो सकते हैं। यह प्रावधान सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किए गए अपराधों के संबंध में है। आवेदन को स्वीकार करने के साथ ही निगमित देनदार का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर के हाथों में चला जाता है और उसके बाद समाधान पेशेवर के हाथों में चला जाता है।

ऋणदाताओं की समिति। जहाँ तक संपत्ति को दी गई सुरक्षा का संबंध है, इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक तर्क है।

कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रावधान में शायद ही कोई स्पष्ट मनमानेपन देखते हैं।

327 ..... विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ था

निगमित देनदार किसी भी तरह से और जो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के संदर्भ में अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, निगम द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी है।

ऋणी "।

(जोर दिया गया)

जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम। पर्यटन

आईएनएएनसीई कार्पोरेशन। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

83. पी. मोहनराज (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 41. धारा 32-ए को संभवतः धारा 14 (1) (ए) की सही व्याख्या पर कोई प्रकाश डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि धारा 32-ए को लागू करने का कोई कारण नहीं था

किसी भी स्थगन प्रावधान के साथ। इस धारा के केंद्र में कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन है, जिस तारीख से समाधान योजना को मंजूरी दी गई है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ताकि नया प्रबंधन

अतीत के साथ एक साफ ब्रेक लें और एक साफ स्लेट पर शुरू करें। दूसरी ओर, एक अधिस्थगन प्रावधान किसी भी दायित्व, नागरिक या आपराधिक को समाप्त नहीं करता है, लेकिन केवल उस पर एक छाया डालता है।

कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और कार्यवाही की जानी है

आरंभ किया गया, अधिस्थगन अवधि समाप्त होने पर किस छाया को हटा दिया जाता है। इसके अलावा, धारा 32-ए (1) केवल अधिस्थगन समाप्त होने के बाद ही काम करती है। धारा 32-ए के केंद्र में

इसके परिणामस्वरूप लेनदारों को कम वसूली से बचना निगमित देनदार का आपराधिक दायित्व के संपर्क में रहना जारी है।

42. दुर्भाग्य से, धारा 32-ए का अनिवार्य रूप से मसौदा तैयार किया गया है। धारा 32-ए (1) के दूसरे परंतुक में ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात की गई है जो किसी भी तरह से निगमित देनदार के लिए उसके व्यवसाय के संचालन के लिए या निगमित देनदार के साथ जुड़े हुए हैं या जिम्मेदार हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "ऐसे अपराध" के करने में शामिल हैं, अर्थात निर्दिष्ट अपराध।

उप-धारा (1) में, "जांच प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या दायर की गई शिकायत के अनुसार।" पेश की गई रिपोर्ट

यहाँ धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत एक पुलिस रिपोर्ट का उल्लेख है, और विशेष के तहत जांच अधिकारियों द्वारा दायर की गई शिकायतें

निजी शिकायतों के विपरीत अधिनियम। यदि दूसरे परंतुक की भाषा को धारा 32-ए (1) की भाषा की व्याख्या करने के लिए लिया जाता है कि धारा 32 ए (1) के तहत किए गए "अपराध" में धारा 2 (डी) सी. आर. पी. सी. के तहत शिकायतों के आधार पर अपराध शामिल नहीं होंगे, तो भाषा की चौड़ाई में कटौती की जाएगी और धारा 32-ए (1) के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जाएगा क्योंकि निजी शिकायतों से उत्पन्न होने वाले सभी अभियोजन होंगे। बहिष्कृत किया जाता है। जाहिर है, धारा 32-ए (1) को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है और स्पष्ट रूप से आरंभ [2023] 4 एस. सी. आर. से पहले किए गए सभी अपराधों के लिए निगमित देनदार के दायित्व को शामिल करता है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया। निसन्देह, ए

धारा 138 की कार्यवाही को शामिल किया जाएगा, और स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एक नए प्रबंधन द्वारा एक समाधान योजना को न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

धारा 32-ए (1) ठीक से आपराधिक कार्यवाही को संदर्भित करती है प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से कॉल करें

या किसी जाँच अधिकारी या शिकायत द्वारा दायर शिकायत

और अर्ध-आपराधिक कार्यवाही के लिए नहीं जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धाराओं 138/141 के तहत शुरू की जाती हैं

निगमित देनदार, धारा 14 (1) आई. बी. सी. का उद्देश्य कम हो जाता है, जैसा कि धारा 32-ए का उद्देश्य है, जो निगम के खिलाफ सभी मामलों में आपराधिक अभियोजन को समाप्त करता है।

निगमित देनदार, इस प्रकार निगमित देनदार से मुक्त

नया प्रबंधन आने के बाद भी ऐसा ही होता है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

45. धारा 138 में अपराध के तत्व शामिल हैं।

बनाया गया। डीमिंग प्रावधान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विधायिका इस तथ्य से अवगत है कि अन्यथा क्या है

नागरिक दायित्व को भी अब एक अपराध माना जाता है, क्योंकि यह

दायित्व को कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस लेनदेन की बात की गई है वह दो पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन है जिसमें ऋण या ऋण के लिए धन का भुगतान शामिल है।

दायित्व। धारा 138 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि ऐसे ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण।

या अन्य दायित्व। इस प्रकार, द्वारा वर्जित ऋण या अन्य देयता

सीमा का कानून धारा 138 के दायरे से बाहर होगा। यह जुर्माने के साथ जोड़ा जाता है जो दोगुनी राशि तक बढ़ सकता है।

पीड़ित को मुआवजे के रूप में देय चेक का

चेक की राशि और ब्याज दोनों को कवर करने के लिए पक्षकार

और उस पर लागत, यह दिखाएगा कि यह वास्तव में एक संकर है

बाउंस चेक के तहत भुगतान को लागू करने का प्रावधान यदि यह अन्यथा नागरिक कानून में लागू करने योग्य है। इसके अलावा, हालांकि अपराध के तत्व धारा 138 के पहले भाग में निहित हैं जब बैंक द्वारा चेक को धारा में दिए गए कारणों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, परंतुक चेक के ड्रॉअर को एक अवसर देता है, जिसमें कहा गया है कि जय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम।

पर्यटन निष्क्रियता निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दराज़दार को 15 के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल होना चाहिए। नोटिस की प्राप्ति के दिन, फिर से यह स्पष्ट करते हुए कि

प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य गलत काम करने वाले को दंडित करना नहीं है

एक अपराध के लिए जो पहले से ही बनाया गया है, लेकिन क्षतिपूर्ति करने के लिए

पीड़ित "।

(जोर दिया गया)

84. नरिंदर गर्ग और अन्य बनाम। कोटक महिंद्रा बैंक

और अन्य ने (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 517 में रिपोर्ट किया, इस अदालत ने कहाः

" 3. पी. मोहनराज बनाम। शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड,

इस मामले पर विचार किया कि क्या इस संबंध में एक निगमित इकाई है जिनमें से अधिस्थगन प्रभावी हो गया था, आगे बढ़ाया जा सकता था

परक्राम्य की धारा 138 और 141 के संदर्भ में

लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "अधिनियम")।

4. एक सहायक मुद्दा प्राकृतिक देयता के बारे में भी था।

कंपनी के निदेशक जैसे व्यक्ति। के अनुच्छेद 77 में

अपने फैसले में, इस न्यायालय ने कहा कि अधिस्थगन

दिवाला की धारा 14 में निहित प्रावधान और

दिवालियापन संहिता, 2016 केवल निगमों पर लागू होगी।

ऋणी और धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति

अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा

अधिनियम के प्रावधान।

इस तरह की स्वीकृति का प्रभाव किसी भी लंबित को मिटाना होगा। अधिनियम की धारा 138 और 141 के तहत मुकदमा।

6. पी. मोहनराज में दिया गया निर्णय काफी स्पष्ट है

और, इस तरह, इस याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कहा जाता है

के लिए "।

(जोर दिया गया)

85. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित सभी निर्णयों का परिणाम यह है कि

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया था।

स्थायी रूप से, कंपनी भंग हो जाती है, हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक [2023] 4 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।

ई द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उनके दंडात्मक दायित्व से

गिट्स विघटन। जिसे भंग किया जाता है, वह केवल कंपनी है, न कि धारा 141 के तहत आरोपी का शून्य दंडात्मक दायित्व।

सीटी।

86. मैं अपने अंतिम निष्कर्ष निम्नानुसार निकाल सकता हूँ:

धारा 31 के तहत समाधान योजना को पारित करने के बाद

(अ)

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आई. बी. सी. और आई. बी. सी. की धारा 32 ए के प्रावधानों के आलोक में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही कायम रहेगी।

निगमित देनदार के संबंध में केवल तभी समाप्त किया जाता है जब उसे एक नए प्रबंधन द्वारा लिया जाता है। धारा 138 हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में कार्यवाही /

(ख)

निदेशक जो धारा 32 ए (1) के दो प्रावधानों द्वारा उत्तरदायी/कवर किए गए हैं, वे कानून के अनुसार जारी रहेंगे।

87. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील विफल हो जाती है और

y खारिज कर दिया गया।

88. संबंधित अपीलें भी विफल हो जाती हैं और एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। 89. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।

ग्यानद्वारा संपादित किया गयाः आदित्यराज पटोदिया और महेंद्र यादव, एलसीआरएएस)